सत्यमेव जयते

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन
मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

सेनवेट क्रेडिट योजना

संघ सरकार
राजस्व विभाग
अप्रत्यक्ष कर-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर
2016 की प्रतिवेदन संख्या 10

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन

मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

सेनवेट क्रेडिट योजना

संघ सरकार

राजस्व विभाग

अप्रत्यक्ष कर-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर

2016 की प्रतिवेदन संख्या 10

_____ को लोक सभा/राज्य सभा के पटल पर रखी गई।

विषय-सूची

विषय		पृष्ठ
प्राक्कथन		**i**
कार्यकारी सार		**iii**
अध्याय 1: प्रस्तावना		**1-6**
1.1	पृष्ठभूमि	1
1.2	संगठनात्मक ढांचा	2
1.3	कानूनी प्रावधान	2
1.4	शुल्क के भुगतान के लिए सेनवेट क्रेडिट का उपयोग	3
1.5	हमने यह विषय क्यों चुना	4
1.6	लेखापरीक्षा उद्देश्य	4
1.7	लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र और कवरेज	5
1.8	अभिस्वीकृति	5
अध्याय 2: प्रणाली मामले		**7-14**
2.1	शुल्क भुगतान हेतु सेनवेट क्रेडिट की उपयोगिता	7
2.2	उसी रूप में हटाये गए इनपुट के लिए प्रयुक्त इनपुट सेवाओं पर अदा किये गये सेवा कर के क्रेडिट के प्रतिलोम के प्रावधान का अभाव	8
2.3	इनपुट सेवाओ पर क्रेडिट अनुमत करते हुए प्रावधानों में कमियाँ	10
2.4	अप्रचलित माल पर क्रेडिट लौटाने के लिए प्रावधान का अभाव	11
2.5	180 दिनों के भीतर जॉब वर्क हेतु भेजे गए माल की गैर प्राप्ति/विलम्बित प्राप्ति के लिए क्रेडिट वापसी पर ब्याज लगाने हेतु प्रावधान का अभाव	13

	विषय	पृष्ठ
अध्याय 3: आंतरिक नियंत्रण		**15-22**
3.1	विवरणियों का प्रस्तुतीकरण	15
3.2	विवरणियों की संवीक्षा	18
3.3	लाभ उठाए गए सेनवेट क्रेडिट का सत्यापन	20
अध्याय 4: अनुपालन सुनिश्चित करने में विभाग की दक्षता		**23-43**
4.1	इनपुट और इनपुट सेवाओं पर सेनवेट क्रेडिट	23
4.2	सेनवेट क्रेडिट की वापसी	27
4.3	सेनवेट क्रेडिट का अधिक लाभ उठाना	30
4.4	सेनवेट क्रेडिट का अनियमित लाभ उठाना	31
4.5	सेनवेट क्रेडिट का स्वः समायोजन	33
4.6	बिना भुगतान किये सेनवेट क्रेडिट का लाभ लेना	35
4.7	इनपुट सेवा वितरक (आईएसडी) द्वारा सेनवेट क्रेडिट का वितरण	36
4.8	सेनवेट क्रेडिट का स्थानांतरण	37
4.9	पूर्ण/आंशिक रूप से बट्टे खाते में डाले गए इनपुट या पूंजीगत माल का सेनवेट क्रेडिट	38
4.10	शिक्षा उपकर और माध्यमिक उच्च शिक्षा के सेनवेट क्रेडिट का गलत भुगतान	38
4.11	प्रतिलोम प्रभार के अंतर्गत सेवा कर के भुगतान हेतु सेनवेट क्रेडिट का प्रयोग	39
4.12	उपयोग करने के बाद पूँजीगत माल को हटाना	40
4.13	कामगारों को भेजे गए माल पर सेनवेट क्रेडिट वापस न करना	41
4.14	सेनवेट क्रेडिट और अवमूल्यन की साथ-साथ प्राप्ति	41
4.15	अन्य मामलें	42
4.16	निष्कर्ष	43
संकेताक्षर		**45**

प्राक्कथन

यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में सेनवेट क्रेडिट योजना पर निष्पादन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम अन्तर्विष्ट शामिल है और 2012-13 से 2014-15 तक की अवधि शमिल है। जहाँ आवश्यक हो वहाँ बाद की आवधियों से संबंधित मामलों को भी शामिल किया गया है।

इस प्रतिवेदन में उल्लिखित दृंष्टात वह है जो के 2015-16 की अवधि के दौरान की गई नमूना लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान मे आए।

लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की गई थी।

लेखापरीक्षा प्रक्रिया के प्रत्येक चरण पर राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड और इसके क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त सहयोग के लिए लेखापरीक्षा आभार व्यक्त करना चाहती है।

कार्यकारी सार

हमने यह आश्वासन प्राप्त करने के लिए सेनवेट क्रेडिट योजना पर निष्पादन लेखापरीक्षा की कि अधिनियमों/नियमों/स्पष्टीकरणों/पद्धतियों में निर्धारित प्रावधान असंदिग्ध है और सेनवेट क्रेडिट योजना के किसी भी दुरूपयोग से सुरक्षा करने के लिए पर्याप्त है और यह कि आंतरिक नियंत्रण और निरीक्षण तंत्र उपस्थित और प्रभावी हैं। निष्पादन लेखापरीक्षा 41 चयनित कमिश्नरियों में की गई थी जिसमें 469 निर्धारितियों से संबधित अभिलेखों की जांच शामिल है।

निष्पादन लेखापरीक्षा ने प्रणाली के साथ-साथ सेनवेट क्रेडिट योजना से संबंधित आंतरिक नियंत्रणों में कमियों, दोनों में वर्तमान प्रावधानों में कतिपय अपर्याप्ताएं दर्शायी थीं।

क. हमने देखा कि सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 में उचित प्रावधानों की कमी के कारण ₹ 21.63 करोड़ की इनपुट सेवाओं पर सेवा कर क्रेडिट के आनुपतिक मूल्य को लौटाया नहीं गया था।

(पैराग्राफ 2.2)

ख. हमने देखा कि इनपुट सेवाओं के संबंध में सेनवेट क्रेडिट के लाभो को अनुमत करते हुए हालांकि इसके इनपुट और पूँजीगत माल पर प्रतिबंधित करना था, मोबाइल फोन के संबंध में शुल्क के रियायती दर के परिणामस्वरूप ₹ 7.30 करोड़ का निर्धारिती को अनभिप्रेत लाभ हुआ था।

(पैराग्राफ 2.3)

ग. नमूना जांच के दौरान हमने देखा कि तीन मामलों में जहां माल को अप्रचलित के रूप में किया गया था किंतु उचित प्रावधानों की कमी के कारण सेनवेट क्रेडिट को लौटाया नहीं गया था।

(पैराग्राफ 2.4)

घ. हमने देखा कि जॉब कामगार को भेजे गए माल की गैर/विलम्बित प्राप्ति के संबंध में सेनवेट क्रेडिट की गैर/विलम्बित वापसी की दशा में ब्याज प्रभारित करने के लिए कोई प्रावधान नहीं हैं।

(पैराग्राफ 2.5)

ङ. हमने निर्धारितियों द्वारा विभिन्न निर्धारित विवरणियों के गैर-प्रस्तुतीकरण के दृष्टात देखे। विवरणियों के गैर-प्रस्तुतीकरण जोकि निर्धारितियों द्वारा प्रदत्त शुल्क मूल्यांकन की सटीकता, सेनवेट क्रेडिट का लाभ उठाने के लिए, छूट की स्वीकार्यता आदि के सत्यापन, के लिए विभाग के सामर्थ्य में बाधा उत्पन्न करेगा।

(पैराग्राफ 3.1)

च. वर्तमान अनुदेशो के उल्लंघन में 41 चयनित कमिश्नरियों में से 21 ने विवरणियों की कोई भी विस्तृत संवीक्षा नहीं की थी। शेष 20 कमिश्नरियों से उत्तर अब भी प्रतीक्षित है।

(पैराग्राफ 3.2)

छ. सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियमों और विनियमों के अनुपालन की जांच के दौरान हमने विभिन्न कमियां देखी जिसमे ₹ 128.31 करोड़ शमिल था जोकि जैसाकि परिकल्पित हैं अनुपालन सत्यापन तंत्र के गैर-अनुपालन के कारण विभाग देखने में असफल रहा।

(अध्याय 4)

सिफारिशों का सार

1. *इनपुट पूँजीगत माल के निपटान के समय पर इनपुट सेवाओं के आनुपातिक सेनवेट क्रेडिट को लौटाने के लिए मंत्रालय सेनवेट क्रेडिट नियमों में एक प्रावधान डाल सकता है।*

2. *सरकार इनपुट सेवाओं पर क्रेडिट को प्रतिबन्धित करने के लिए अधिसूचना में उपयुक्त सुधार करने पर विचार कर सकती है।*

3. *सरकार सेनवेट क्रेडिट को लौटाने के लिए प्रावधान समाविष्ट करने पर विचार कर सकती है जहाँ मालसूची को अप्रचलित घोषित किया गया था किंतु बही खाते से बट्टे खाते नहीं डाले गए थे जहाँ पूँजीगत माल उपयोग करने के बाद बट्टे खाते में डाला गया है।*

4. *जॉब कामगार को भेजे गए माल की गैर/विलम्बित प्राप्ति के संबंध में सेनवेट क्रेडिट के गैर/विलम्बित लौटाने के मामले में ब्याज प्रभारित करने के लिए सरकार प्रावधान समाविष्ट करने पर विचार कर सकती है।*

5. *सरकार बीजकों/दस्तावेजों की सं., बीजकों की तिथि, अध्याय शीर्ष सहित माल का नाम, ली गई क्रेडिट को राशि आदि को समाविष्ट करने वाले निर्धारितियों द्वारा लाभ उठाए गए सेनवेट क्रेडिट के संबंध में विस्तृत सूचना प्रस्तुत करने के लिए प्रावधान समाविष्ट करने पर विचार कर सकती है ताकि रेंज स्तर पर प्रारंभिक जॉच की जा सके।*

अध्याय 1: प्रस्तावना

1.1 पृष्ठभूमि

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्रक्रिया की नई विधि, जिसे मॉडवैट (संशोधित योग्य मूल्य कर) कहा जाता है, को दिसम्बर 1985 में सरकार द्वार घोषित दीर्घावधि राजकोषीय नीति में अपेक्षित उपायों में से एक को कार्यान्वित करने के लिए 1 मार्च 1986 से आरम्भ किय गया था।

योजना उत्पादों को इनपुटों (वर्ष 1986 से) तथा पूंजीगत माल (वर्ष 1994 से) पर चुकाए गए शुल्क के क्रेडिट का लाभ उठाने तथा ऐसे क्रेडिट का उपयोग उनके द्वारा निर्मित अंतिम उत्पादों पर शुल्क के भुगतान के लिए समर्थ बनाता है। योजना का सेनवेट क्रेडिट योजना के रूप मे पुन: नामकरण, 1 अप्रैल 2000 से प्रभावी, किया गया था। इसे सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2001 से बदल दिया गया था, 1 जुलाई 2001 से प्रभावी, जिसने सेनवेट प्रावधानों तथा प्रक्रियाओं को विनिर्दिष्ट अंतिम उत्पादों के उत्पादकों के संबंध में प्रयुक्त विनिर्दिष्ट इनपुटों तथ पूंजीगत माल पर चुकाए गए शुल्क के क्रेडिट की अनुमति के लिए सरल कर दिया था। इसके अतिरिक्त, नियमों का परिशोधन, 1 मार्च 2002 से प्रभावी, सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2002, के माध्यम से किया गया था।

केन्द्र सरकार ने सेवाओं पर कर का उदग्रहण वर्ष 1994 से आरंभ किया था। वर्ष 2002 में वित्त अधिनियम, 1994 के खंड 94(2) के संशोधन के साथ केन्द्र सरकार को सेवा कर (एसटी) के क्रेडिट के संबध में नियम बनाने की शक्तियां दी गई थी। केन्द्र सरकार ने 16 अगस्त 2002 से प्रभावी सेवा कर क्रेडिट नियमावली, 2002 आरंभ की। यह योजना उत्पाद शुल्क पर सेनवेट योजना के समान थी, परन्तु केवल कर योग्य आउटपुट सेवाओं के प्रदान करने में प्रयुक्त इनपुट सेवा पर क्रेडिट के लिए ही सीमित थी। सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 प्रस्तावित तथा 10 सितम्बर 2004 से प्रभावी की गई ताकि इनपुट शुल्कों तथा कर का क्रेडिट सम्पूर्ण माल तथा सेवाओं तक बढाया जा सके।

1.2 संगठनात्मक ढांचा

केन्द्रीय उत्पाद तथा सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी), केन्द्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत स्थापित, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के अन्तर्गत राजस्व विभाग का भाग है। यह सीमा शुल्क के उदग्रहण तथा संग्रहण, केन्द्रीय उत्पाद शुल्कों तथा सेवा कर, तस्करी का निवारण तथा सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर, तथा नशीली दवाओं से संबंधित विषयों की व्यवस्था से संबंधित नीति के निरूपण के कार्यों पर कार्य करता है। बोर्ड इसके अधीनस्थ संस्थाओं, सीमा शुल्क गृहो, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सेवा कर कमिश्नरियों तथा केन्द्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला सहित, के लिए प्रशासनिक प्राधिकरण है।

1.3 कानूनी प्रावधान

1.3.1 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 37 केन्द्र सरकार का अन्य बातों के साथ-साथ निम्न के लिए नियम बनाने के लिए अधिकार देता है:

(i) उत्पाद शुल्क योग्य माल के निर्माण से संबधित या उनमें प्रयुक्त माल पर चुकाए गए या चुकाए गए माने गए शुल्क के क्रेडिट की व्यवस्था करने के लिए;

(ii) वित्त अधिनियम, 1994 के अध्याय V के अन्तर्गत उदग्रहणीय, उत्पाद शुल्क योग्य माल के निर्माण के संबंध में या उनमें प्रयुक्त करयोग्य सेवाओं पर चुकाए गए या देय, सेवा कर के क्रेडिट के लिए व्यवस्था करने के लिए;

(iii) उत्पाद शुल्क योग्य माल के निर्माण में प्रयुक्त कच्चे माल के संदर्भ में मुद्रा राशि का क्रेडिट देने की व्यवस्था करने के लिए।

1.3.2 वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 94 केन्द्र सरकार को प्रयुक्त सेवाओं पर चुकाए गए सेवा कर या एक करयोग्य सेवा प्रदान करने के लिए प्रयुक्त वस्तुओं पर चुकाए गए या चुकाए माने गए शुल्क के क्रेडिट के लिए नियम बनाने के लिए अधिकार देती है।

1.4 शुल्क के भुगतान के लिए सेनवेट क्रेडिट का उपयोग

सेनवेट क्रेडिट का लाभ उठाने तथा शुल्क/कर के भुगतान के लिए इसका उपयोग करने की योजना में, सेनवेट क्रेडिट से भुगतान माल के विनिर्माण या सेवा की व्यवस्था में प्रयुक्त इनपुट तथा इनपुट सेवाओं पर पहले ही चुकाए जा चुके शुल्क/कर को दर्शाता है। तालिका 1 समीक्षा की अवधि के दौरान निजी बही लेखे (पीएलए) तथा सेनवेट क्रेडिट के माध्यम से केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (सीई) संग्रहणों की प्रवृति को दर्शाती है।

तालिका 1: अवधि 2012-13 से 2014-15 के लिए पीएलए तथा सेनवेट क्रेडिट के माध्यम से केन्द्रीय उत्पाद शुल्क संग्रहण की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	निर्धारितियों की संख्या	पीएलए के माध्यम से चुकाया गया सीई शुल्क		सेनवेट क्रेडिट के माध्यम से चुकाया गया सीई शुल्क		सेनवेट क्रेडिट से चुकाया गया सीई शुल्क पीएलए भुगतानो के % के रूप में
		राशि	पिछले वर्ष से % परिवर्तन	राशि	पिछले वर्ष से % परिवर्तन	
2012-13	4,09,139	1,75,845	--	2,58,697	--	147.12
2013-14	4,35,213	1,69,455	-3.63	2,73,323	5.65	161.30
2014-15	4,67,286	1,89,038	11.56	2,91,694	6.72	154.30

स्रोत: मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़े।

तालिका 2 समीक्षा की अवधि के दौरान पीएलए (नकद) तथा सेनवेट क्रेडिट के माध्यम से सेवा कर संग्रहण की प्रवत्ति दर्शाती है।

तालिका 2: अवधि 2012-13 से 2014-15 के लिए पीएलए तथा सेनवेट क्रेडिट के माध्यम से सेवा कर संग्रहण की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	निर्धारितियों की संख्या	पीएलए के माध्यम से चुकाया गय सेवा कर		सेनवेट क्रेडिट के माध्यम से चुकाया गया सेवा कर		सेनवेट क्रेडिट से चुकाया गया एसटी पीएलए भुगतानों के % के रूप में
		राशि	पिछले वर्ष से % परिवर्तन	राशि	पिछले वर्ष से % परिवर्तन	
2012-13	19,82,297	1,32,601	--	5,507	--	4.15
2013-14	22,58,599	1,54,780	16.72	15,090	174.01	9.74
2014-15	25,11,728	1,67,969	8.52	14,404	-4.54	8.57

स्रोत: मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़े।

1.5 हमने यह विषय क्यों चुना

पिछले तीन वर्षों में सेनवेट के माध्यम से चुकाए गए शुल्क/कर की महत्वपूर्ण राशि, हाल ही के वर्षों में विभिन्न परिवर्तन जैसे कि छ: महीनों के अन्दर (सितम्बर 2014 से) /एक वर्ष के अन्दर (मार्च 2015 से) सेनवेट क्रेडिट लेने का प्रतिबंध तथा सेनवेट क्रेडिट के अनियमित लाभ उठाने/उपयोग करने के बड़ी संख्या के मामले जिन्हें हमारी नियमित लेखापरीक्षा के दौरान देखा गया, को ध्यान में रखते हुए वर्तमान प्रावधानों की उपयुक्तता तथा कार्यान्वयन तथा निगरानी तंत्रों की प्रभावकारिता का मूलयांकन करना आवश्यक महसूस हुआ था।

1.6 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा यह आश्वासन प्राप्त करने के लिए की गई कि :

क) नियमावली/स्पष्टीकरणों/प्रक्रियाओं में निर्धारित प्रावधान स्पष्ट है तथा योजना के किसी दुरूपयोग को रोकने के लिए उचित है;

ख) आंतरिक नियंत्रण तथा निगरानी तंत्र स्थान पर हैं तथा प्रभावी है; तथा

ग) विभागीय प्रशासन सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 तथा अन्य संबंधित नियमों में निर्धारित नियमों तथा विनियमों के कार्यान्वयन तथा अनुपालन सुनिश्चित करने में दक्ष है।

1.7 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र और कवरेज

हमने कमिश्नरियों/डिवीजन/रेंज (सीडीआर) के 20 प्रतिशत तथा सभी पांच बड़ी कर भुगतान करने वाली इकाई (एलटीयू) कमिश्नरियों को चयनित किया। ऐसा करते हुए सीडीआर, जिनके पास सेनवेट क्रेडिट के माध्यम से ₹ एक करोड़ प्रतिवर्ष से अधिक शुल्क का भुगतान करने वाले निर्धारितियों की अधिकतम संख्या है, को चयनित किया गया। इस प्रकार, हमने 145 कमिश्नरियों में से 41[1], 737 डिविजनों में से 68, 3,649 रेंज में से 129, तथा 4,54,080 में से 469 निर्धारितियों को चयनित कमिश्नरियों से चयन तथा कवर किया। चयनित सीडीआर में सेनवेट क्रेडिट के माध्यम से तीन करोड़ से अधिक शुल्क/कर चुकाने वाले सभी निर्धारिती ₹ 1 से तीन करोड़ के बीच की शुल्क/कर राशि चुकाने वाले 50 प्रतिशत निर्धारितियों तथा सेनवेट क्रेडिट से प्रतिवर्ष ₹ एक करोड़ तक की शुल्क /कर राशि चुकाने वाले 20 प्रतिशत निर्धारितियों का चयन किया गया। इस निष्पादन लेखापरीक्षा में 2012-13 से 2014-15 तक की अवधि की जांच की गई।

1.8 अभिस्वीकृति

हम केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) तथा इसकी अधीनस्थ इकाईयों के इस लेखापरीक्षा को करने के लिए आवश्यक अभिलेख प्रदान करने में दिए गए सहयोग के लिए आभारी है।

हमने लेखापरीक्षा उद्देश्यों तथा निष्पादन लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र की 28 अप्रैल 2015 को सीबीईसी अधिकारियों के साथ एक एंट्री कांफ्रेंस में चर्चा की तथा

[1] अहमदाबाद-III, अलवर, बेंगलुरू एलटीयू, बेंगलुरू-I, भरूच, भुवनेश्वर-I, भुवनेश्वर-II, बिलासपुर, बोलपुर, चंडीगढ़-1, चेन्नई एलटीयू, चेन्नई -III, देहरादून, दिल्ली एलटीयू, दिल्ली-I, दिल्ली-I एसटी, फरीदाबाद-II, गाजियाबाद, गुवाहाटी, ग्वालियर, हैदराबाद-III, हैदराबाद-iv, इंदौर, जयपुर, जमशेदपुर, कोच्ची, कोलकाता एलटीयू, कोलकाता-I एसटी, मुम्बई एलटीयू, नोएडा एसटी, नोएडा-I, पटना, पुणे-III, रायगढ़, रापुर, रांची, सिलवासा, मुम्बई-II एसटी, मुम्बई –vII एसटी ठाणे-I तथा तिरूवनंतपुरम ।

एग्जिट कांफ्रेंस 4 मार्च 2016 को आयोजित की गई थी। मंत्रालय ने फरवरी तथा अप्रैल 2016 में उत्तर प्रस्तुत किया जो इस रिपोर्ट में सम्मिलित है।

अध्याय 2: प्रणाली मामलें

2.1 शुल्क भुगतान हेतु सेनवेट क्रेडिट की उपयोगिता

2.1.1 तालिका 1 से यह अवलोकन किया गया है कि सेनवेट द्वारा अदा किया गया केंद्रीय उत्पाद शुल्क समीक्षा अवधि के दौरान पीएलए भुगतानों की प्रतिशतता का लगभग 154 प्रतिशत है। इसके अतिरिक्त, यह पाया गया कि चयनित 41 में से 13 कमिश्नरियों में सेनवेट क्रेडिट से भुगतान किया गया केन्द्रीय उत्पाद शुल्क पीएलए भुगतान की प्रतिशतता राष्ट्रीय औसत की तुलना में दो गुनी से अधिक थी। सेनवेट क्रेडिट के लाभ उठाने तथा उपयोगिता से संबंधित कुछ अन्य कमियाँ भी देखी गई। तीन निदर्शी मामले इस प्रकार हैं:-

- सिलवासा कमिश्नरी में, पीएलए की तुलना में सेनवेट से शुल्क भुगतान 2012-13 से 2014-15 के दौरान लगभग 1,300 प्रतिशत अधिक है। यह अनुपात, 154 प्रतिशत के अखिल भारतीय आंकड़ों की तुलना में बहुत अधिक है।
- हैदराबाद-III कमिश्नरी में, जबकि 2012-13 वर्ष में 424 से वर्ष 2014-15 में 457 (आठ प्रतिशत) तक निर्धारितयों की संख्या में वृद्धि हुई, पीएलए द्वारा संबंधित शुल्क भुगतान ₹ 961 करोड़ से ₹ 771 करोड़ (20 प्रतिशत कम) तक घट गया। सेनवेट उपयोगिता के संबंध में, यह ₹ 1,182 करोड़ से ₹ 1,207 करोड़ (दो प्रतिशत) तक बढ़ गया।
- 2013-14 और 2014-15 के दौरान अहमदाबाद-III कमिश्नरी में, यद्यपि 2,012 से 4,452 (121 प्रतिशत) तक निर्धारितियों की संख्या में वृद्धि हुई, पीएलए द्वारा संबंधित शुल्क भुगतान ₹ 838 करोड़ से ₹ 920 करोड़ (10 प्रतिशत) तक बढ़ गया और सेनवेट उपयोगिता के संबंध में यह केवल ₹ 3,051 करोड़ से ₹ 3,170 करोड़ (चार प्रतिशत) तक बढ़ गया।

2.1.2 तालिका 2 से यह अवलोकन किया गया कि समीक्षा अवधि के दौरान सेनवेट द्वारा अदा किया गया सेवा कर, पीएलए भुगतानों की प्रतिशतता का

लगभग सात प्रतिशत है। इसके अतिरिक्त, यह पाया गया कि चयनित 41 में से 14 कमिश्नरियों में सेनवेट क्रेडिट से किया गया भुगतान पीएलए भुगतान की प्रतिशतता राष्ट्रीय औसत की तुलना में दो गुनी से अधिक थी। दो निदर्शी मामले इस प्रकार हैं:-

- बैंगलुरू एलटीयू कमिश्नरी में, 2012-13 और 2013-14 के दौरान सेनवेट क्रेडिट की उपयोगिता क्रमश: 58 और 61 प्रतिशत थी जो 7.48 प्रतिशत की अखिल भारतीय औसत की तुलना में सात गुना से अधिक है।
- भुवनेश्वर-I कमिश्नरी में, वर्ष 2012-13 और 2013-14 के दौरान सेनवेट क्रेडिट की उपयोगिता क्रमश: 76 और 67 प्रतिशत थी जो 7.8 प्रतिशत की अखिल भारतीय औसत की तुलना में नौ गुना अधिक है।

2.2 उसी रूप में हटाये गए इनपुट के लिए प्रयुक्त इनपुट सेवाओं पर अदा किये गये सेवा कर के क्रेडिट के प्रतिलोम के प्रावधान का अभाव

सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 2(l) के अनुसार, 'इनपुट सेवा' में इनपुट की खरीद और इनपुट या पूँजीगत माल का आंतरिक परिवहन और हटाये जाने के स्थान तक बाह्य परिवहन आदि के संबंध में प्रयुक्त सेवाएं शामिल होते हैं। इसके अतिरिक्त, पूर्वोक्त नियमावली का नियम 3(1) यह दर्शाता है कि तैयार उत्पाद के निर्माता या उत्पादक या करयोग्य सेवा के प्रदाता को तैयार उत्पाद के निर्माता द्वारा प्राप्त की गई इनपुट सेवा पर सेवा कर का क्रेडिट लेना अनुमत होगा। यद्यपि, नियम 3(5) इनपुट लिये गये क्रेडिट या इस प्रकार हटाये गये पूँजीगत माल की वापसी को दर्शाता है, इनपुट सेवाओं पर अदा किये गये सेवा कर के क्रेडिट के समान राशि के अपेक्षित भुगतान नियमों के अंतर्गत कोई संबंधित प्रावधान नहीं है। इन सेवाओं में कस्टम हाऊस एजेंट की सेवाएं, निर्गम और अग्रेषण एजेंटों की सेवाएं, इनपुट या पूँजीगत माल आदि की खरीद/परिवहन हेतु/प्राप्त परिवहन शामिल किये जा सकते थे। ऐसे प्रावधान के अभाव के परिणामस्वरूप निर्माता को अवाछंनीय लाभ प्राप्त हुआ।

17 कमिश्नरियों में 44 मामलों के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान, हमने अवलोकन किया कि ₹ 21.63 करोड़ की इनपुट सेवाओं पर सेवा कर क्रेडिट का अनुपातिक मूल्य सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 में उचित प्रावधान के अभाव के कारण वापस नहीं किया गया। कुछ निदर्शी मामले इस प्रकार है:-

2.2.1 भारूच कमिश्नरी में मै. यूपीएल लिमि. (इकाई-V) ने समीक्षा अवधि के दौरान खरीदे गये कुल ₹ 1,459.10 करोड़ मुल्य के इनपुट में से ₹ 139.21 करोड़ के इनपुट की उसी रूप में निकासी की। यद्यपि, इस प्रकार से निकास किये गये इनपुट में शामिल इनपुट सेवाओं पर सेनवेट क्रेडिट की वापसी के प्रावधान के अभाव में, उक्त की निर्धारिती ने वापसी नहीं की। इसके परिणामस्वरूप उपरोक्त अवधि के दौरान निर्माता को ₹ 5.96 करोड़ का अवांछित लाभ हुआ।

2.2.2 बैंगलुरू एलटीयू कमिश्नरी में मै. टोयोटो किरलोस्कर मोटर्स प्रा. लिमि. ने समीक्षा अवधि के दौरान खरीदे गये कुल ₹ 950.36 करोड़ मूल्य के इनपुट में से ₹ 6.82 करोड़ के इनपुट की उसी रूप में निकासी की। यद्यपि, निर्धारिती ने ऐसे निकास किये गये इनपुट में शामिल इनपुट सेवाओं का क्रेडिट वापस नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप उपरोक्त अवधि के दौरान निर्माता को ₹ 3.60 करोड़ का अवांछनीय लाभ प्राप्त हुआ।

2.2.3 पुणे-III कमिश्नरी में मै. किरलोस्कर ऑयल ईंजनस लिमि. और मै. क्यूमिन्स इंडिया लिमि. ने समीक्षा अवधि के दौरान खरीदे गये कुल इनपुट में से ₹ 271.15 करोड़ के इनपुट की उसी रूप में निकासी की। निर्धारिती ने इनपुट सेवाओं के क्रेडिट की वापसी नहीं की। इसके परिणामस्वरूप उपरोक्त अवधि के दौरान निर्माता को ₹ 4.78 करोड़ के अवांछनीय लाभ प्राप्त हुआ।

2.2.4 मुंबई एलटीयू कमिश्नरी में मै. एशियन पेंटस लिमि. ने समीक्षा अवधि के दौरान खरीदे गये कुल इनपुट में से ₹ 76.91 करोड़ के उसी रूप में इनपुट की निकासी की। ऐसे निकास किये गये इनुपट में शामिल इनपुट सेवाओं पर सेनवेट क्रेडिट की वापसी हेतु प्रावधान के अभाव के कारण, निर्धारिती ने उक्त की वापसी नहीं की। इसके परिणामस्वरूप उपरोक्त अवधि के दौरान निर्माता को ₹ 1.23 करोड़ का अवाछंनीय लाभ प्राप्त हुआ।

जब हमने इंगित किया (अप्रैल और जून 2015 के बीच) मंत्रालय ने कहा कि यह एक नीतिगत मामला है।

सिफारिश संख्या 1

मंत्रालय इनपुट/पूँजीगत माल की उसी रूप में निकासी के समय पर इनपुट सेवाओं के आनुपातिक सेनवेट क्रेडिट की वापसी के लिए सेनवेट क्रेडिट नियमावली में एक प्रावधान जोड़ सकता है।

एग्जिट क्रांफ्रेस के दौरान, मंत्रालय ने कहा कि दुरूपयोग, यदि कोई है, को ढूंढने के लिए एक सर्वेक्षण किया जाएगा। इस सर्वेक्षण का परिणाम सीएजी के साथ साझा किया जाएगा।

2.3 इनपुट सेवाओं पर क्रेडिट अनुमत करते हुए प्रावधानों में कमियाँ

दिनांक 17 मार्च 2012 की अधिसूचना को संशोधित करते हुए दिनांक 1 मार्च 2015 की अधिसूचना एक प्रतिशत की दर पर शुल्क के भुगतान के साथ मोबाइल फोन निकासी को उसमे विनिर्दिष्ट शर्तों के अनतर्गत अनुमत करती है जो केवल इनपुट और पूँजीगत माल के संबंध में सेनवेट क्रेडिट प्राप्ति को प्रतिबंधित करती है। इनपुट सेवाओं पर सेनवेट क्रेडिट की प्राप्ति के संबंध में यह शर्त मौन है। चूँकि अधिसूचना ने मोबाईल के संबंध में शुल्क की रियायती दर अनुमत किया, इनपुट सेवाओं के संबंध में सेनवेट क्रेडिट का लाभ अनुमत करना सेनवेट क्रेडिट योजना के आधारभूत सिद्धांतों के समान प्रतीत नहीं होता।

नोयडा-I कमिश्नरी में मै. सैमसंग इंडिया इलैक्ट्रॉनिक्स प्रा. लिमि., मोबाईल हैडसेट के निर्माण से संबद्ध ने उपरोक्त विनिर्दिष्ट अधिसूचना का लाभ उठाते हुए एक प्रतिशत की दर पर शुल्क के भुगतान के साथ मोबाईल फोन की निकासी की और मार्च 2015 के दौरान इनपुट सेवाओं के संबंध में सेनवेट क्रेडिट भी प्राप्त किया। चूंकि निर्माता द्वारा इनपुट सेवाओं के संबंध में सेनवेट क्रेडिट प्राप्त करते हुए शुल्क की रियायती दर पर मोबाईल फोन की निकासी की गई थी। इनपुट सेवाओं पर सेनवेट क्रेडिट लेने के परिणामस्वरूप निर्माता को मार्च 2015 के दौरान ₹ 7.30 करोड़ का अवाछंनीय लाभ प्राप्त हुआ।

जब यह इंगित किया गया (जून 2015), मंत्रालय ने कहा कि यह एक नीतिगत मामला है।

सिफारिश संख्या 2

सरकार इनपुट सेवाओं पर क्रेडिट प्रतिबंधित करने के लिए अधिसूचना का उपयुक्त संशोधन करने पर विचार कर सकती है।

एग्जिट कांफ्रेस के दौरान मंत्रालय ने कहा कि मामला कर अनुसंधान इकाई (टीआरयू) की जांच के अधीन है और विस्तृत उत्तर अलग से प्रस्तुत किया जाएगा।

2.4 अप्रचलित माल पर क्रेडिट लौटाने के लिए प्रावधान का अभाव

सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 का नियम 3 यह विनिर्दिष्ट करता है कि विनिर्माता या आउटपुट सेवा के प्रदाता अंतिम माल के निर्माण या उससे संबंधित आउटपुट सेवा प्रदान करने के लिए प्रयुक्त इनपुट या इनपुट सेवाओं या पूँजीगत माल का क्रेडिट लेने के लिए अनुमत होगा।

सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 का निमय 3(5ए) यह विनिर्दिष्ट करता है कि जब सेनवेट माल जिस पर सेनवेट क्रेडिट लिया जा चुका है, को उपयोग करने के बाद हटाया जाता है, चाहे पूँजीगत माल या टुकड़े या बेकार के रूप में, विनिर्माता या आउटपुट सेवाओं के प्रदाता एक वर्ष की प्रत्येक तिमाही या सेनवेट क्रेडिट लेने की तिथि उनके भाग हेतु नियम में विनिर्दिष्ट अनुसार स्ट्रेट लाईन पद्धति द्वारा गणना किये गये प्रतिशत बिंबूओं द्वारा कम की गई उक्त पूँजीगत माल पर सेनवेट क्रेडिट के समान राशि का भुगतान करेगा। परंतु यदि ऐसे गणना की गई राशि लेन-देन मूल्य पर उद्ग्राह्य शुल्क के समान राशि से कम है, अदा की जाने वाली राशि लेन-देन मूल्य पर उद्ग्राह्य शुल्क के समान होगा।

सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 3(5बी) के अनुसार, उपयोग करने से पहले किसी इनपुट या पूँजीगत माल का मूल्य, जिस पर सेनवेट क्रेडिट लिया गया है को पूर्णत: या आंशिक रूप से समाप्त किया जाता है या जहां बही खातों में पूर्णत: या आंशिक रूप से समाप्त करने का कोई प्रावधान किया

गया है, वहां विनिर्माता या सेवा प्रदाता, जैसा भी मामला हो, उक्त इनपुट या पूँजीगत माल के संबंध में लिये गये सेनवेट क्रेडिट के समान राशि अदा करेगा। परंतु, वस्तुएं जिन्हें अप्रचलित घोषित किया गया है परन्तु खातों में समाप्त नहीं किया गया, के लिए कोई प्रावधान नहीं है। नमूना जांच के दौरान, हमने तीन मामलों में अवलोकन किया जहां माल को अप्रचलित घोषित किया गया था परंतु सेनवेट क्रेडिट की वापसी नहीं की गई थी, जिनका विवरण नीचे दर्शाया गया है:-

2.4.1 काकीनाड़ा कमिश्नरी में मै. राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमि. ने अप्रचलित सामग्री के संचयी स्टॉक के प्रति ₹ 36.36 करोड़ का प्रावधान किया। प्रावधान के अभाव में, निर्धारिती ने इन अप्रचलित सामग्री के प्रति ₹ 4.49 करोड़ के सेनवेट क्रेडिट की वापसी नहीं की।

2.4.2 बैंगलोर एलटीयू कमिश्नरी में, मै. टोयोटा किरलोस्कर मोटर्स प्रा. लिमि. ने बहीखातों में कुछ प्रयुक्त पूँजीगत माल को अप्रचलित घोषित किया और उक्त को निकासी के बिना फैक्टरी में रखा। हालांकि, प्रावधानों के अभाव में निर्धारिती ने इस आधार पर ₹ 24.29 लाख के सेनवेट क्रेडिट का भुगतान नहीं किया कि उल्लिखित सामान फैक्टरी से नहीं हटाए गए थे।

2.4.3 इसी प्रकार मै. एचएमटी मशीन टूल्स लि. ने हैदराबाद-IV कमिश्नरी में बहीखाते में घोषित अप्रचलित सामान के लिए निर्धारणीय ₹ 26.45 लाख का सेनवेट क्रेडिट नहीं लौटाया था।

जब हमने इसे बताया (अप्रैल और जुलाई 2015 के बीच), मंत्रालय ने कहा (फरवरी 2016) कि यह एक नीतिगत मामला है।

सिफारिश संख्या 3

सरकार सेनवेट क्रेडिट की वापसी का प्रावधान लाने पर विचार कर सकती है जहां मदसूचियां बेकार घोषित कर दी गई हों, किन्तु बहीखाते से समाप्त नहीं की गई थी और जहां पूँजीगत वस्तुएं प्रयुक्त होने के बाद समाप्त कर दी गई हो लेकिन फैक्टरी से न हटाई गई हों।

मंत्रालय ने अपने उत्तर में बताया (फरवरी 2016) कि मामले की जांच की जा रही है।

2.5 180 दिनों के भीतर जॉब वर्क हेतु भेजे गए माल की गैर प्राप्ति/विलम्बित प्राप्ति के लिए क्रेडिट वापसी पर ब्याज लगाने हेतु प्रावधान का अभाव

सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 4(5)(ए) के अन्तर्गत जॉब वर्कर को भेजा गया इनपुट अथवा अर्द्ध-तैयार माल 180 दिनों के भीतर फैक्टरी में लौटा दिया जाना चाहिए। ऐसा करने में विफल रहने पर इनपुट/अर्द्ध-तैयार माल पर गैर प्राप्त अनुपातिक सेनवेट क्रेडिट वापस किया जाना चाहिए। हालांकि, क्रेडिट वापसी में देरी के मामले में ऐसी विलम्बित वापसी पर ब्याज लगाने का कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है। इसके परिणामस्वरूप सरकार को ब्याज की हानि होती है।

भरूच कमिश्नरी में मै. लैनक्सेस इंडिया प्रा. लि. को 180 दिनों की निर्धारित तिथि बीत जाने के बावजूद भी जॉब वर्कर को भेजा गया ₹ 19.78 लाख के क्रेडिट वाला इनपुट/पूँजीगत माल वापस प्राप्त नहीं हुआ था। निर्धारिती ने 1 जून 2015 को सेनवेट क्रेडिट वापस किया। जॉब वर्कर को भेजे गए माल की गैर-प्राप्ति/विलम्बित प्राप्ति के संबंध में सेनवेट क्रेडिट की गैर-वापसी या विलम्बित वापसी पर ब्याज लगाने का प्रावधान न होने के कारण ₹ 3.17 लाख के ब्याज की हानि हुई।

जब हमने इसे बताया (जून 2015), मंत्रालय ने कहा (फरवरी 2016) कि यह नीतिगत मामला है।

सिफारिश संख्या 4

सरकार जॉब वर्कर को भेजे गए माल की गैर-प्राप्ति/विलम्बित प्राप्ति के संबंध में सेनवेट क्रेडिट की गैर-वापसी या विलम्बित वापसी पर ब्याज लगाने पर विचार कर सकती है।

एक्ज़िट कान्फ्रेंस के दौरान मंत्रालय ने उत्तर दिया कि 28 एवं 29 अक्टूबर 2015 को आयोजित टैरिफ कान्फ्रेंस में पहले ही यह निर्णय लिया जा चुका है

कि जॉब वर्कर को भेजे गए पूँजीगत माल की निर्गम तिथि से 180 दिनों की निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद उद्ग्रहणयोग्य ब्याज का भुगतान करना होगा और यही सिद्धान्त जॉब वर्कर को भेजे गए इनपुट के मामले में भी लागू होगा और ब्याज लगाने का प्रावधान शामिल करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

एक ओर मंत्रालय ने कहा कि यह नीतिगत मामला है (पैरा 2.5) और दूसरी ओर इसने बताया (एक्ज़िट कान्फ्रेंस) कि टैरिफ कान्फ्रेंस में मामले को पहले ही स्पष्ट कर दिया गया था और ब्याज लगाने का प्रावधान शामिल करने की कोई आवश्यकता नहीं।

लेखापरीक्षा का मत है कि अस्पष्टता से बचने के लिए इस संबंध में विशिष्ट प्रावधान शामिल करने की आवश्यकता है।

अध्याय 3: आंतरिक नियंत्रण

सेनवेट क्रेडिट योजना हेतु बनाए गए नियमों सहित उत्पाद शुल्क/सेवा कर के उद्ग्रहण एवं संग्रहण से संबंधित सभी विधानों और नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए विभाग के पास आंतरिक नियंत्रण की तीन पद्धतियां है नामतः संवीक्षा, लेखापरीक्षा और प्रति अपवंचन। स्व-निर्धारण की पद्धति को देखते हुए विभाग शुल्क की गैर/कम उगाही या त्रुटिपूर्ण प्रतिदायों पर कारण बताओ नोटिस जारी करके और अधिनिर्णय प्रक्रिया के माध्यम से इसके पुष्टिकरण द्वारा नियंत्रण करता है।

3.1 विवरणीयों का प्रस्तुतीकरण

केंद्रीय उत्पाद कानून के अनुसार एक विनिर्माता को विभिन्न विवरणी दाखिल करनी होती है जैसे- ईआर-1, ईआर-2, ईआर-3, ईआर-4, ईआर-5, ईआर-6, ईआर-7 और ईआर-8। इसके अतिरिक्त, सेवा कर कानून के अनुसार निर्धारिती को एसटी-3 विवरणी दाखिल करनी पड़ती है।

वस्तुओं के उत्पादन एवं निकासी की मासिक विवरणी तथा अन्य संबंधित विवरण एवं सेनवेट क्रेडिट ईआर-1 के प्रारूप में आगामी माह के 10 तारीख तक विनिर्माता, जो सूक्ष्म स्तर उद्योग (एसएसआई) रियायत के पात्र नहीं हैं, द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

निर्धारितियों द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष के लिए ₹ एक करोड़ या अधिक प्रतिवर्ष (पीएलए के माध्यम से अथवा सेनवेट अथवा दोनों साथ-साथ) के शुल्क का भुगतान करके ईआर-5 के प्रारूप में मूल इनपुट से संबंधित सूचना की वार्षिक विवरणी तथा विनिर्दिष्ट अध्यायों और शीर्षों के तहत आने वाली उन विनिर्माण वस्तुओं की विवरणी चालू वित्तीय वर्ष के लिए प्रतिवर्ष 30 अप्रैल तक प्रस्तुत की जानी चाहिए।

ईआर-6 प्रस्तुत करने वाले निर्धारितियों द्वारा आगामी माह के 10 तारीख तक मूल इनपुट के प्रत्येक खपत और प्राप्ति की मासिक विवरणी प्रस्तुत की जानी चाहिए।

एसटी-3 फार्म में, प्रदान की गई करयोग्य सेवाओं की एक अर्द्धवार्षिक विवरणी छमाही की समाप्ति से 25 दिन के भीतर सेवा कर के भुगतान हेतु दायी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत की जानी चाहिए।

नमूना जांच के दौरान हमनें विभिन्न विवरणियों के प्रस्तुतीकरण में कुछ कमियां देखी जिसका उल्लेख नीचे किया गया है:-

3.1.1 ईआर-1 एवं एसटी-3 विवरणी

सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 9 के उप नियम (7) एवं (9) के अनुसार, सेनवेट क्रेडिट लेने वाले विनिर्माता एवं सेवा प्रदाता को निर्धारित तिथि के भीतर क्रमश: एक मासिक विवरणी (ईआर-1) और एक अर्द्धवार्षिक विवरणी (एसटी-3), अधीक्षक, केंद्रीय उत्पाद को भेजना होगा। ये विवरणियां प्रस्तुत न करने पर सेनवेट क्रेडिट निमावली, 2004 के नियम 15ए के तहत जुर्माना लगाया जाएगा।

33 चयनित कमिश्नरियों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों की संवीक्षा के दौरान हमने देखा कि समीक्षा अवधि के दौरान 244 ईआर-1 विवरणियां प्रस्तुत नहीं की गई थी लेकिन विभाग ने केवल 89 ईआर-1 विवरणियों के संबंध में कार्रवाई शुरू की। तीन[2] चयनित कमिश्नरियों ने सूचना प्रस्तुत नहीं की। शेष पॉच[3] कमिश्नरियॉ केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के मामले नहीं देखती।

32 कमिश्नरियों द्वारा प्रस्तुत ऑकड़ों की संवीक्षा के दौरान हमने देखा कि 2012-15 की अवधि के दौरान 8,346 एसटी-3 विवरिणियां नहीं प्रस्तुत की गई थी, लेकिन विभाग ने केवल 276 एसटी-3 विवरणियों के संबंध में ही कार्रवाई प्रारंभ की। सात[4] कमिश्नरियों ने सूचना प्रस्तुत नहीं की। शेष दो कमिश्नरियों नामतः दिल्ली-I तथा नोएडा-I। सेवा कर के मामले नहीं देखती।

जब हमने इसे बताया (अप्रैल और जून 2015), मंत्रालय ने कहा (फरवरी 2016) कि चूककर्ताओं के विरूद्ध सुधारात्मक कार्रवाई प्रारंभ की जा रही है।

---

[2] बिलासपुर, ग्वालियर और पुणे III

[3] दिल्ली-I एसटी, कोलकाता-I एसटी, मुंबई-II एसटी, मुंबई-VII एसटी और नोएडा एसटी

[4] बिलासपुर, देहरादून, मुम्बई एलटीयू, नोएडा-I, पूणे-III, रायगढ़ और ठाढ़े-I।

3.1.2 ईआर-5 विवरणी

सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 9ए(1) के अनुसार, सभी निर्धारिती (उनके अलावा जिन्होंने पिछले वित्तीय वर्ष के लिए ₹ एक करोड़ से कम का भुगतान किया है और जो विनिर्माण वस्तुएं विनिर्दिष्ट अध्यायों और शीर्षों के तहत आती है) को ईआर-5 विवरणी दाखिल करना होगा, जो पिछले वित्तीय वर्ष हेतु प्रतिवर्ष 30 अप्रैल तक मूल इनपुट पर वार्षिक सूचना है।

34 चयनति कमिश्नरियों के चयनित रेंज में हमने देखा कि समीक्षा अवधि के दौरान निर्धारितियों द्वारा 722 ईआर-5 विवरणियां नहीं प्रस्तुत की गई थी। हालांकि विभाग ने केवल 113 मामलों में कार्रवाई शुरू की। मुंबई एलटीयू और रायगढ़ कमिश्नरियों ने विवरण प्रस्तुत नहीं किया। शेष पाँच[5] कमिश्नरियाँ केंद्रीय उत्पाद शुल्क नहीं देखती हैं।

जब हमने इसे बताया (अप्रैल और जून 2015), मंत्रालय ने कहा (फरवरी 2016) कि चूककर्ताओं के विरूद्ध सुधारात्मक कार्रवाई प्रारंभ की जा रही है।

3.1.3 ईआर-6 विवरणी

सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 9ए(3) में ईआर-5 विवरणी दाखिल करने वाले भुगतानकर्ता निर्धारितियों द्वारा फार्म ईआर-6 में प्रत्येक प्रमुख इनपुट की प्राप्ति एवं खपत की मासिक विवरणी प्रस्तुत करने का प्रावधान है।

33 चयनित कमिश्नरियों के चयनित रेंज में हमने देखा कि समीक्षा अवधि के दौरान निर्धारितियों ने 4,315 ईआर-6 विवरणियां प्रस्तुत नहीं की थी। हालांकि विभाग ने केवल 783 मामलों में कार्रवाई प्रारंभ की। मुंबई एलटीयू, हैदराबाद IV और रायगढ़ कमिश्नरी ने ब्यौरे प्रस्तुत नहीं किए। शेष पाँच[6] कमिश्नरियों ने केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के मामले नहीं देखती।

---

[5] दिल्ली-I एसटी, कोलकाता-I एसटी, मुंबई-II एसटी, मुंबई-VII एसटी और नोएडा एसटी

[6] दिल्ली-I एसटी, कोलकाता-I एसटी, मुंबई-II एसटी, मुंबई-VII एसटी और नोएडा एसटी

जब हमने यह बताया (अप्रैल तथा जून 2015) तो मंत्रालय ने बताया (फरवरी 2016) कि चूककर्ताओं के सुधारात्मक कार्यवाही प्रारंभ की जा रही है।

लेखापरीक्षा का विचार है कि विवरण प्रस्तुत न करने के कारण निर्धारिती द्वारा शुल्क भुगतान, मूल्यांकन की सटीकता, सेनवेट क्रेडिट की प्राप्ति, छूट की स्वीकार्यता इत्यादि की जांच नहीं हो सकती । इसके अतिरिक्त इसके कारण विस्तृत संवीक्षा के लिए विवरणियों के चयन हेतु संख्या कम हो जाती है। इसके अतिरिक्त, ईआर-5 तथा ईआर-6 दर्ज कराने के अभाव में विभाग अवैध उत्पादन तथा निर्धारिती द्वारा माल को हटाने का पता लगाने में सक्षम नहीं हो सकता।

एक्जिट कान्फ्रेंस के दौरान, मंत्रालय ने बताया कि चार विवरणियों को वर्तमान वित्त वर्ष से हटाए जाने का प्रस्ताव है। आगे यह दर्शाया गया है कि पंजीकृत निर्धारिती के अनुरूप प्राप्त हुए विवरणियों की संख्या में अंतर सक्रिय तथा निष्क्रिय निर्धारिती में अंतर के कारण है तथा माल एवं सेवा कर (जीएसटी) अधिनियम में निष्क्रिय निर्धारितियों के लिए पंजीकरण को अस्थाई रूप से स्थगित करने के लिए प्रावधान पर सक्रियता से विचार किया जा रहा है।

3.2 विवरणियों की संवीक्षा

3.2.1 प्रारंभिक संवीक्षा/समीक्षा तथा सुधार

केन्द्रीय उत्पाद एवं सेवा कर का स्वचालन (एसीईएस) की शुरूआत के पश्चात, विवरणियों की प्रारंभिक संवीक्षा प्रणाली द्वारा स्वयं की जा रही है। प्रारंभिक संवीक्षा का उद्देश्य सूचना की पूर्णता, विवरणियों का समय पर प्रस्तुतीकरण, शुल्क का समय पर भुगतान, शुल्क के रूप में गिनी गई राशि की अंकीय सटीकता, सेनवेट क्रेडिट का अन्त: एवं अथ शेष इत्यादि सुनिश्चित करना है। प्रणाली द्वारा समीक्षा तथा सुधार हेतु निकाले गए विवरणियों की जांच रेंज अधीक्षक द्वारा करना आवश्यक है। उस से विवरणियों में किसी गलती को संबंधित निधार्रिती के साथ परामर्श से सुधार करने की अपेक्षा भी की जाती है।

41 कमिश्नरियों की चयनित रेंजो में 2,580 विवरणियों की संवीक्षा के दौरान जमशेदपुर तथा पटना कमिश्नरी में दो मामलों में हमने देखा कि निर्धारितियों

द्वारा प्रस्तुत की गई विवरणियों के अनुसार सेनवेट क्रेडिट के अन्तः शेष तथा अथ शेष में अंतर थे। यद्यपि, प्रणाली ने समीक्षा तथा सुधार के लिए विवरणियों को चिन्हित किया था, फिर भी विभाग ने समीक्षा की अवधि के दौरान अंतर की जांच नहीं की थी जिसमें ₹ 14.01 लाख की सेनवेट क्रेडिट प्राप्ति शामिल थी। एक मामला नीचे दर्शाया गया हैः-

जमशेदपुर कमिश्नरी में, मैसर्ज टीएमएल ड्राईवलाईन लि. ने सितम्बर 2013 के महीने के लिए विवरणी में ₹ 3.10 करोड़ सेनवेट क्रेडिट का अन्तः शेष दर्शाया था। तथापि, अक्तूबर 2013 के विवरणी में सेनवेट क्रेडिट का अथ शेष ₹ 3.23 करोड़ दर्शाया गया था। अतः रूपये 13 लाख का अंतर है जिसकी विभाग द्वारा जांच किये जाने की आवश्यकता है।

जब हमने यह दर्शाया (जून 2015) तो मंत्रालय ने ₹ 3.93 लाख के ब्याज के साथ रूपये 13.33 लाख के सेनवेट क्रेडिट की वापसी की सूचना दी (फरवरी 2016)।

3.2.2 विस्तृत संवीक्षा

विस्तृत संवीक्षा का उददे्श्य कर विवरणी में प्रस्तुत की गई सूचना की वैधता स्थापित करना तथा मूल्यांकन की सटीकता, सेनवेट क्रेडिट का लाभ, ली गई छूट अधिसूचना की स्वीकार्यता पर विचार करने के पश्चात लागू की गई कर की प्रभावी दर तथा वर्गीकरण सुनिश्चित करना है। प्रांरभिक संवीक्षा के विपरीत, विस्तृत संवीक्षा करदाताओं द्वारा प्रस्तुत की गई विवरणियों में प्रस्तुत की गई सूचना से विकसित जोखिम पैरामीटरों के आधार पर चिन्हित कुछ चयनित विवरणियों को कवर करने के लिए है।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विवरणी की संवीक्षा हेतु संहिता, 2008 के पैरा 4.1 ए के साथ पठित पैरा 4बी जोखिम पैरामीटरों के आधार पर निर्धारण की विस्तृत संवीक्षा के लिए प्राप्त हुए कुल विवरणियों के पांच प्रतिशत तक के चयन का प्रावधान करता है। सेवा कर विवरणियों की संवीक्षा हेतु संहिता, 2009 का पैराग्राफ 4.2ए निर्धारित करता है कि विस्तृत संवीक्षा में दो प्रतिशत रिटर्न तक की जांच किये जाने की आवश्यकता है।

वर्ष 2012-13 तथा 2013-14 के लिए विवरणियों की विस्तृत संवीक्षा से संबंधित डाटा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सेवा कर के लिए क्रमश: 2015 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. 7 तथा 2015 की 4 में पैराग्राफ सं. 1.15.2 तथा 1.14.2 द्वारा शामिल किया गया है। यद्यपि, वर्ष 2014-15 के लिए विस्तृत संवीक्षा के ब्यौरे विभाग द्वारा भेजे नहीं गए थे।

41 कमिश्नरियों की चयनित रेंजों में से 21 कमिश्नरियों[7] की चयनित रेंजों ने बताया कि उनके द्वारा कोई विस्तृत संवीक्षा नहीं की गई थी। शेष 20 कमिश्नरियों से उत्तर अभी तक प्रतीक्षित है।

जब हमनें यह दर्शाया (अप्रैल तथा जून 2015 के बीच) तो मंत्रालय ने बताया (फरवरी 2016) विस्तृत संवीक्षा का कार्य प्रारंभ किया गया है तथा एक्जिट कान्फ्रेंस के दौरान इसने सूचित किया कि विस्तृत संवीक्षा प्रारंभ करने के और अधिक साधनों सहित अनुदेश जून 2015 में जारी किये गए है।

3.3 लाभ उठाए गए सेनवेट क्रेडिट का सत्यापन

ईआर-I/ईआर-3 तथा एसटी-3 विवरणियों में एक महीने/तिमाही के दौरान लिए गए विभिन्न प्रकार के क्रेडिट तथा अलग अलग उददे्श्यों के लिए इसके उपयोग के संबंध में सूचना प्रस्तुत करने के लिए तथा उपयोग किये गय सेनवेट क्रेडिट के ब्यौरे हेतु एक तालिका होती है। विभाग की ओर से इन विवरणियों में दर्शायी गई **'ली गई क्रेडिट'** राशि की जांच स्त्रोत दस्तावेजों जैसे बीजक, प्रविष्टि बिल इत्यादि के साथ करना बहुत महत्वपूर्ण है। वर्तमान में विभाग विस्तृत संवीक्षा तथा निर्धारितियों की आंतरिक लेखापरीक्षा की प्रक्रिया में विवरणियों में दर्शाए गए क्रेडिट की राशि की जांच करता है।

चयनित रेंजों के अंतर्गत आने वाले निर्धारितियों द्वारा लाभ लिए गए सेनवेट क्रेडिट की विभाग द्वारा विस्तृत संवीक्षा तथा आन्तरिक लेखापरीक्षा के माध्यम

[7] अहमदाबाद-III, अलवर, भारूच, भुवनेश्वर-I, भुवनेश्वर-II, बिलासपुर, चेन्नै-III, देहरादून, गाजियाबाद, ग्वालियर, हैदराबाद-III, हैदराबाद-IV, इन्दौर, कोच्ची, नोयडा-I (सीएक्स), नोयडा एसटी, पटना, रायपुर, राँची, सिलवासा एवं तिरूवनंतपुरम

से की गई जांच के संबंध में विभाग[8] द्वारा प्रस्तुत किये गए आंकडों की संवीक्षा से पता चता कि समीक्षा की अवधि के दौरान निर्धारितियों द्वारा प्राप्त किये गए सेनवेट क्रेडिट का औसतन: क्रमश:33.67, 30.47 तथा 47.37 प्रतिशत की जांच नहीं की गई थी। विशेषकर 2014-15 के दौरान, 38 में से 16 रेंजों ने निर्धारितियों द्वारा प्राप्त किये गए 90 प्रतिशत क्रेडिट की सीमा तक उनके द्वारा प्राप्त सेनवेट क्रेडिट की सटीकता की जांच नहीं की थी। इसके अतिरिक्त हमने यह भी देखा कि, जैसा की इस रिपोर्ट के पैराग्राफ 3.2.2 में दर्शाया गया है, अधिकतर चयनित रेंजों ने विवरणियों को विस्तृत संवीक्षा नहीं की थी तथा चयनित इकाईयों के लिए सेनवेट जांच विभाग की आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा की जा रही थी। परिणामस्वरूप सेनवेट क्रेडिट का एक बड़ा भाग जिसका निर्धारितियों ने शुल्क/कर के भुगतान के लिए उपयोग किया था, की जांच नहीं हुई थी।

जब हमने यह दर्शाया (अप्रैल तथा जुलाई 2015) तो मंत्रालय ने बताया (फरवरी 2016) कि कार्यवाही पहले ही प्रांरभ की जा चुकी है।

दो मामले नीचे दर्शाये गए है:-

3.3.1 हमने पटना कमिश्नरी में बेतिया केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर रेंज में देखा कि समीक्षा की अवधि के दौरान विभाग द्वारा मैसर्ज एचपीसीएल बायोफ्यूल्स, लौरिया की न तो आंतरिक लेखापरीक्षा एवं न ही विवरणियों की विस्तृत संवीक्षा की गई थी। परिणामस्वरूप, उक्त अवधि के दौरान निर्धारिती द्वारा प्राप्त किये गए ₹ 8.09 करोड़ के सेनवेट क्रेडिट की स्त्रोत दस्तावेजों जैसे इनपुट, पूंजीगत माल तथा इनपुट सेवा बीजकों से जांच नहीं जा सकी थी तथा विस्तृत संवीक्षा तथा आंतरिक लेखापरीक्षा के अनुपालना जांच तंत्र के मूल उददे्श्य को विफल करते हुए विभाग ने पूरी तरह से निर्धारिती द्वारा अपनी विवरणी में उपलब्ध कराई गई सूचना पर विश्वास किया था।

---

[8] कुल 129 चयनित रेंजों में से केवल 38, 40, तथा 38 रेंजों ने क्रमश: वर्ष 2012-13, 2013-14 तथा 2014-15 के लिए डाटा प्रस्तुत किया था।

जब हमने यह दर्शाया (जून 2015) तो मंत्रालय ने बताया (फरवरी 2016) कि 2015-16 की अवधि के लिए लेखापरीक्षा हेतु निर्धारिती का चयन किया गया है।

3.3.2 इसी प्रकार, मुंबई-V।। एसटी कमिश्नरी में हमने देखा कि समीक्षा की अवधि के दौरान मैसर्ज रिलायन्स कम्यूनिकेशन लि. द्वारा लाभ लिए गये तथा उपयोग किये गये ₹ 2,835.80 करोड़ राशि के सेनवेट क्रेडिट की विभाग द्वारा जांच नहीं की गई थी क्योंकि इकाई के सर्वाधिक सेवा कर भुगतान करने वाली इकाईयों में से एक होने तथा आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए अनिवार्य श्रेणी के अंतर्गत आने के बावजूद विभाग ने 2010-11 से 2014-15 की अवधि के लिए इकाई की आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की थी। हमारी लेखापरीक्षा के दौरान हमने रूपये 24.36 करोड़ के सेनवेट क्रेडिट को वापस न लौटाना देखा था जैसा पैरा 4.2.1 में वर्णित है।

जब हमने यह बताया (जून 2015), तो मंत्रालय ने बताया (फरवरी 2016) कि निर्धारिती को भविष्य में आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए चयनित किया जाएगा।

एक्जिट कान्फ्रैंस के दौरान, मंत्रालय ने बताया कि श्रमबल की बाधाओं के कारण आंतरिक लेखापरीक्षा तथा विस्तृत संवीक्षा में कमी हुई है।

यद्यपि श्रमबल बाधा को स्वीकार किया जाता है, फिर भी लेखापरीक्षा यह समझने में असमर्थ है कि 2014-15 के दौरान आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा कवर किये गए ₹ तीन करोड़ से अधिक का भुगतान करने वाले 2,183 निर्धारितियों में से ये मामले कैसे रह गए।

लेखापरीक्षा का विचार है कि विभाग को वर्तमान श्रमबल बाधाओं को ध्यान में रखते हुए आंतरिक लेखापरीक्षा/विस्तृत संवीक्षा हेतु मामलों के चयन के लिए पैरामीटरों को पुन: विचार करने की आवश्यकता है।

अध्याय 4: अनुपालन सुनिश्चित करने में विभाग की दक्षता

निर्धारिती द्वारा शुल्क/कर के स्वनिर्धारण के प्रारंभ के बाद, विभाग को संवीक्षा और आन्तरिक लेखापरीक्षा के यंत्र के माध्यम से शुल्क/कर भुगतान का अनुपालन सत्यापन सुनिश्चित करना होता है। लेखापरीक्षा ने पाया कि विभाग द्वारा कोई विस्तृत संवीक्षा नहीं की गई थी। इसके अलावा, आन्तरिक लेखापरीक्षा के लिए अनिवार्य इकाइयों की कवरेज न होना भी पाया गया था। अनुपालन सत्यापन तंत्र जैसा परिकल्पित था, के अननुपालन के कारण हमने सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियमों एवं विनियमों के अनुपालन की जांच करते समय विभिन्न कमियाँ पाई। पाए गए कुछ मामले नीचे दर्शाये गए हैं।

4.1 इनपुट और इनपुट सेवाओं पर सेनवेट क्रेडिट

सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 2(के) और 2(आई) के तहत इनपुट और इनपुट सेवाओं को परिभाषित किया गया है।

पूर्वोक्त नियम 3 के अनुसार, आउटपुट सेवा के निर्माता या प्रदाता को उसमें विनिर्दिष्ट शुल्कों/सेवा कर के क्रेडिट का लाभ लेना अनुमत है जो पूंजीगत माल/इनपुटों/इनपुट सेवाओं पर प्रदत्त हैं।

सेनवेट क्रेडिट का अनियमित लाभ और उपयोग, सेनवेट क्रेडिट नियमावली 2004 के नियम 14 और नियम 15ए की शर्तों में ब्याज और शास्ति सहित वसूलीयोग्य है।

2012-13 से 2014-15 के अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान हमने 83 मामलों में पाया कि ₹ 62.13 करोड़ का सेनवेट क्रेडिट का लाभ अपात्र इनपुटों/इनपुट सेवाओं पर लिया गया था।

कुछ मामले नीचे दर्शाये गये हैं:-

4.1.1 अपात्र इनपुट सेवाओं पर सेनवेट क्रेडिट का लाभ लेना

सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 2(आई) में अन्य बातों के साथ साथ इनपुट सेवाओं को, विनिर्माता द्वारा प्रयुक्त किसी सेवा के रूप में जो

प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से अन्तिम उत्पादों के विनिर्माता के संबंध में और निकासी के स्थान तक अन्तिम उत्पादों की निकासी और सेवाएं अर्थात् आधुनिकीकरण, नवीकरण इत्यादि शामिल हैं, किन्तु (क) निर्माण कार्य ठेका और विनिर्माण सेवाओं, जिसमें वित्त अधिनियम की धारा 66 ई के खण्ड (ख) के तहत सूचीबद्ध सेवा शामिल है, जहां तक वह (क) एक भवन या एक सिविल संरचना या उसके भाग के निर्माण ठेका के निर्माण या निष्पादन (ख) विनिर्दिष्ट सेवाओं के एक या अधिक प्रावधान को छोडकर पूंजीगत माल के समर्थन के लिए बुनियाद बिछाने या संरचना बनाने के निष्पादन में सेवा भाग को छोड़कर के रूप में ऐसे परिभाषित किया गया है।

भुवनेश्वर-II कमिश्नरी में मैं. जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड़ ने समीक्षा की अवधि के दौरान ₹ 36.67 करोड़ के इनपुट सेवा क्रेडिट का लाभ और प्रयोग परियोजना कार्य, संयंत्र लगाने सिविल कार्यों अर्थात् नीवं की खुदाई, भू कार्य से संबंधित सेवाओं के लिए किया गया था जो इनपुट सेवाओं की परिभाषा से बाहर है। इसके परिणामस्वरूप ₹ 36.67 करोड़ के सेनवेट क्रेडिट का अनियमित लाभ और उपयोग हुआ।

जब हमने इसके बारे में बताया (जुलाई 2015) मंत्रालय ने आपत्ति को स्वीकार किया (फरवरी 2016)।

4.1.2 अधिसूचना द्वारा कवर न की गई अवधि के लिए इनपुट सेवाओं का सेनवेट क्रेडिट

एक क्रेता को बिक्री के प्रयोजन हेतु एक काम्पलैक्स, भवन, सिविल संरचना या उसके भाग के रूप में निर्माण के संबंध में 1 जुलाई 2012 से प्रभावी दिनांक 20 जून 2012 की अधिसूचना के अनुसार, सेनवेट क्रेडिट केवल इनपुट सेवाओं और पूंजीगत माल के संबंध में उपलब्ध है। करयोग्य सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रयुक्त इनपुटों पर कोई सेनवेट क्रेडिट उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार, 30 जून 2012 तक प्रदत्त ऐसी सेवाओं पर सेनवेट क्रेडिट उपलब्ध नहीं था।

दिल्ली एसटी कमिश्नरी में मै. एजीसी रिएल्टी प्राइवेट लि. ने आवासीय परियोजनाओं के निर्माण की अपनी आउटपुट सेवा के संबंध में जुलाई 2012 से पूर्व प्राप्त इनपुट सेवा पर प्रदत्त सेवा कर पर सेनवेट क्रेडिट का लाभ और उपयोग किया। चूंकि, सेवाएं जुलाई 2012 से पहले उपयोग और प्राप्त की गई

थी, सेवा प्रदाता को सेनवेट क्रेडिट अनुमत नहीं था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 91.07 लाख का अस्वीकार्य सेनवेट क्रेडिट का लाभ और उपयोग किया गया।

जब हमने इस बारे में बताया (जून 2015) मंत्रालय ने आपत्ति स्वीकार करते हुए बताया (फरवरी 2016) कि एससीएन जारी किया जा चुका है।

4.1.3 बिक्री कमीशन पर सेनवेट क्रेडिट का लाभ लेना

सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 2(आई) के अनुसार, बिक्री प्रमोशन एक योग्य क्रेडिट है तथापि इनपुट सेवा की परिभाषा में बिक्री कमीशन शामिल नहीं है। मै. कैडिला हेल्थकेयर लि. {2013(30) एसटीआर 3 (गुज.)} के मामले में यह निर्णय लिया गया था कि कमिशन एजेंटों द्वारा दी गई सेवा, जो कि परिभाषा में उल्लिखित गतिविधियों के अनुरूप नहीं है, व्यापार या बिक्री को बढ़ावा देने से संबंधित अभिव्यक्ति की गतिविधियों के दायरे में नहीं आएगा। परिणामस्वरूप, कमीशन एजेंटों को भुगतान की गई कमीशन के संबंध में सेनवेट क्रेडिट अनुमत नहीं होगा। मै. कैडिला हेल्थकेयर लि. के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की गई थी और मामला शीर्ष न्यायालय के अधीन था और उस मामले {2014 (34) एसटीआर 814 (गुज.)}. में कोई स्थगन आदेश प्रदान नहीं किया गया था।

बोलपुर कमिशनरी में मै. बल्लवपुर पेपर मेन्यूफेक्चरिंग लि. ने विभिन्न बिक्री एजेंटो के माध्यम से क्राफ्ट पेपर क्लीयर किया और लागू सेवा कर के साथ बिक्री पर कमीशन का भुगतान किया। बाद में निर्धारिती ने उस प्रदत्त सेवा पर सेवा कर क्रेडिट का लाभ लिया जो अनियमित था। इसके परिणामस्वरूप, समीक्षा की अवधि के दौरान बिक्री कमीशन पर ₹ 1.40 करोड़ का सेनवेट क्रेडिट का अनियमित लाभ लिया गया।

जब हमने इसके बारे में बताया (सितम्बर 2014) मंत्रालय ने कहा (फरवरी 2016) कि निर्धारिती द्वारा लिया गया क्रेडिट दिनांक 29 अप्रैल 2011 के परिपत्र के प्रकाश में नियमित था और गुजरात उच्च न्यायालय का निर्णय निर्धारिती पर बाध्यकारी नहीं था।

मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यदि क्षेत्राधिकार उच्च न्यायालय और बोर्ड के परिपत्र के बीच कोई असंगति होती, तो उसके परिपत्र के बजाय

क्षेत्राधिकारी उच्च न्यायालय का निर्णय विभाग पर बाध्यकारी होता है {2014 (34) एसटीआर 814 (गुज.)}।

4.1.4 छूट प्राप्त माल पर सेनवेट क्रेडिट का लाभ

सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 6(4) और 6(1) में परिकल्पित है कि पूंजीगत माल या इनपुट सेवा जिसका पूरी तरह से छूट प्राप्त माल या सेवा प्रदान करने के लिए उपयोग किया जाता है, पर कोई सेनवेट क्रेडिट अनुमत नहीं होगा।

कोच्चि कमिश्नरी में मै. ट्रावेन्कोर कोचीन केमिकल्स लि. ने मै. विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर (वीएसएससी) की सहायता से केवल सोडियम कलोरेट क्रिस्टल के उत्पादन के लिए ₹ 24 करोड़ का एक एमोनियम पर-क्लोरेट एक्सपेरिमेंटल प्लांट स्थापित किया। अन्तिम उत्पाद मै. वीएसएससी को दिनांक 1 मार्च 1997 की छूट अधिसूचना के अन्तर्गत आपूरित किया गया था। संवीक्षा के दौरान यह पाया गया कि निर्धारिती ने उपरोक्त संयंत्र के लिए उपयोग की गई की इनपुट सेवाओं पर ₹ 28.02 लाख, पूंजीगत माल पर ₹ 63.60 लाख के सेनवेट क्रेडिट का लाभ लिया जो सही नहीं था। इसके परिणामस्वरूप सवीक्षा की अवधि के दौरान ₹ 91.62 लाख के सेनवेट क्रेडिट का अनियमित लाभ लिया गया।

जब हमने इसके बारे में बताया (जुलाई 2015) मंत्रालय ने कहा (फरवरी 2016) कि चूंकि विवादास्पद पूंजीगत माल शुल्क योग्य और छूट प्राप्त दोनों के निर्माण के लिए उपयोग हुए थे इस मामले में सेनवेट क्रडिट नियमावली, 2004 का नियम 6(4) नहीं लगेगा।

मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि शुल्क योग्य माल की कोई निकासी नहीं हुई थी।

4.1.5 गलत तरीके से प्रदत्त प्रतिकारी शुल्क का सेनवेट क्रेडिट

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 5ए की उप धारा (1) के अन्तर्गत दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार जहाँ किसी उत्पाद शुल्क योग्य माल के संबंध में उप धारा (1) के अन्तर्गत उस पर उद्ग्राहय पूरे उत्पाद शुल्क से छूट प्रदान की गई है, तो ऐसे उत्पाद शुल्क योग्य माल के विनिर्माता को ऐसे माल पर उत्पाद शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा।

इसके अतिरिक्त, सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 2(डी) के अनुसार, छूट प्राप्त माल का अर्थ है, उत्पाद शुल्क योग्य माल जिसे उस पर उद्ग्राहय उत्पाद शुल्क से पूरी तरह छूट प्राप्त है और इसमें ऐसा माल शामिल है जिन पर शुल्क की 'शून्य' दर प्रभार्य है।

बोर्ड ने दिनांक 14 जनवरी 2011 के अपने परिपत्र में स्पष्ट किया "यदि निर्धारिती छूट प्राप्त माल पर उत्पाद शुल्क के रूप में किसी राशि का भुगतान करता है, तो उसे डाउनस्ट्रीम यूनिटों के सेनवेट क्रेडिट के रूप में अनुमत नहीं किया जा सकता क्योंकि प्रदत्त राशि को सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 3 के अन्तर्गत उत्पाद शुल्क के रूप में नहीं माना जा सकता"।

भुवनेशवर-II कमिश्नरी में मै. जिन्दल स्टील एडं पावर लि. और मै. गणेश स्पोंज प्रा. लि ने उस आयातित कोयले पर सेनवेट क्रेडिट का लाभ लिया, जिस पर दो प्रतिशत की दर से सीवीडी का भुगतान किया गया था। चूंकि उक्त माल पूर्वोक्त नियम के अनुसार छूट प्राप्त माल की श्रेणी में आते हैं, इसलिए उन पर सेनवेट क्रेडिट का लाभ लेना अनियमित था। इसके परिणामस्वरूप 2013-14 से 2014-15 की अवधि के दौरान ₹ 3.50 करोड़ (₹ 3.38 करोड़ + 0.12 करोड़) के सेनवेट क्रेडिट का अनियमित लाभ लिया गया।

जब हमने इस बारे में बताया (जुलाई 2015) मंत्रालय ने आपत्ति स्वीकार करते हुए कहा (फरवरी 2016) कि एससीएन जारी किये जा रहे हैं।

4.2 सेनवेट क्रेडिट की वापसी

सेनवेट क्रेडिट नियमावली 2004 के नियम 6(2) के अनुसार, जब एक निर्धारिती शुल्क योग्य एवं छूट प्राप्त दोनों के निर्माण/सेवा से संबंधित होता है तो उसे प्राप्ति शुल्क योग्य निर्माण/सेवा में उपयोग हेतु अभिप्रेत इनपुट/इनपुट सेवाओं के उपभोग और मालसूची के पृथक लेखों का अनुरक्षण करना होता है और पहले भाग का ही क्रेडिट लेना होता है। इसके अतिरिक्त, माल के विनिर्माता या आउटपुट सेवाओं के प्रदाता जो पृथक लेखों का अनुरक्षण न करने का विकल्प लेता है वह छूट प्राप्त माल छूट प्राप्त सेवाओं के मूल्य के छः प्रतिशत के बराबर राशि या पूर्वोक्त उप नियम (3ए) के अन्तर्गत निर्धारित राशि का भुगतान करेगा।

अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान हमने 12 कमिश्नरियों में 18 मामले पाए, जिनमें निर्धारितियों ने संमीक्षा की अवधि के दौरान या तो सेनवेट क्रेडिट नियमावली 2004 के नियम 6 के अन्तर्गत देय ₹ 32.74 करोड़ की राशि का भुगतान नहीं किया था या कम भुगतान किया था। कुछ मामले नीचे दर्शाये गए हैं:-

4.2.1 वित्त अधिनियम 1994 के अध्याय V की धारा 64 जम्मू एवं कश्मीर राज्य में सेवा कर लगाने से छूट प्रदान करती हैं। चूंकि जम्मू एवं कश्मीर में प्रदत्त सेवाओं के संबंध में सेवा कर देय नहीं है, इसलिए संबंधित इनपुट सेवा का सेनवेट क्रेडिट अनुमत नहीं है। शब्द 'छूट प्राप्त सेवाऐं' जैसा नियम 2(ई) में परिभाषित है का अर्थ है कर योग्य सेवाएं जो उस पर उद्ग्रहाय पूरे सेवा कर से छूट प्राप्त है और इसमें वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 66 के अन्तर्गत ऐसी सेवाएं भी शामिल हैं जिन पर कोई सेवा कर उद्ग्राहय नहीं हैं।

मुम्बई-VII एसटी कमिश्नरी में मैं. रिलायंस कम्यूनिकेशन्स लि. कर योग्य, छूट प्राप्त और गैर कर योग्य टेलीकम्यूनिकेशन सेवाएं प्रदान करने में संलंग्न था। समीक्षा अवधि के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि निर्धारिती ने जम्मू एवं कश्मीर के ग्राहकों को गैर-करयोग्य सेवाएं प्रदान की थी तथा ₹ 222.27 करोड़ की आय अर्जित की। निर्धारिती ने करयोग्य तथा गैर-करयोग्य सेवाओं के प्रावधान में उपयुक्त इनपुट सेवाओं के लिए पृथक खातों का अनुरक्षण नहीं किया। इसके अलावा, जम्मू एवं कश्मीर से संबंधित गैर करयोग्य सेवाओं के प्रति नियम 6(3ए) के अनुसार किसी राशि का भुगतान नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप वर्ष 2013-14 तथा 2014-15 के लिए ₹ 24.36 करोड़ का भुगतान नहीं हुआ।

जब हमने यह बताया (जुलाई 2015) तब मंत्रालय ने सूचित किया (फरवरी 2016) कि एक एससीएन जारी किया जा रहा है।

4.2.2 मुम्बई एलटीयू कमिश्नरी में मै. राष्ट्रीय केमिकल एडं फर्टीलाइजर्स लि., थाल शुल्कयोग्य तथा छूट प्राप्त उत्पादों का विनिर्माण करने में सलंग्न थी। निर्धारिती की ट्रॉम्बे तथा थाल में दो निर्माण इकाईयां है। थाल यूनिट के वर्ष 2012-13 तथा 2013-14 के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि निर्धारिती ने सामान्य इनपुट सेवाओं पर आनुपातिक सेवा कर क्रेडिट का लाभ उठाया था, जिसे मुख्य रूप से शुल्क योग्य माल हटाने तथा करयोग्य सेवाओं

के प्रावधान के लिए थाल यूनिट हेतु प्राप्त किया गया था। नियम 6(3) के तहत राशि को वापिस करते समय निर्धारिती ने सम्पूर्ण कम्पनी (दोनो यूनिटो) के टर्नओवर अनुपात पर विचार किया था जो सही नहीं था क्योंकि केवल थाल यूनिट के टर्नओवर अनुपात पर विचार किया जाना आवश्यक था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 5.29 करोड़ के सेनवेट क्रेडिट का अधिक लाभ उठाया गया।

जब हमने इस विषय में बताया (अप्रैल 2015) तो मंत्रालय ने आपत्ति को स्वीकार करते हुए सूचित किया (फरवरी 2016) कि एससीएन जारी किया जा रहा है।

4.2.3 सेनवेट क्रेडिट नियमावली 2004 के नियम 6(3बी) के अनुसार, एक गैर-बैंकिंग वित्त कम्पनी (जमा, ऋणों या अग्रिमों द्वारा सेवा प्रदान करने में सलंग्न) सहित एक बैंकिंग कम्पनी तथा एक वित्तीय संस्था को 1 अप्रैल 2011 से प्रभावी प्रत्येक माह उस माह में इनपुटों तथा इनपुट सेवाओं पर लिए गए सेनवेट क्रेडिट के पचास प्रतिशत के बराबर भुगतान करना होगा।

कोच्चि कमिश्नरी में मै. फेडरल बैंक लि. के अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान, हमने पाया कि निर्धारिती ने वर्ष 2012-13 के दौरान ₹ 32.83 करोड़ राशि की इनपुट सेवाओं के सेनवेट क्रेडिट का लाभ उठाया परन्तु ₹ 16.42 करोड़ की बजाय केवल ₹ 15.76 करोड़ वापिस किए। इसके परिणामस्वरूप ₹ 65.57 लाख का कम व्युत्क्रमण हुआ।

जब हमने यह बताया (मार्च 2014) तब मंत्रालय ने ₹ 19.75 लाख के ब्याज के साथ ₹ 65.57 लाख के सेनवेट क्रेडिट के व्युत्क्रमण के बारे में सूचित किया (फरवरी 2016)।

4.2.4 भुवनेश्वर-II कमिश्नरी में मै. जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड ने 2013-14 तथा 2014-15 की समयावधि के दौरान शुल्क के भुगतान के बिना ₹ 9.11 करोड़ के मूल्य के दो छूट प्राप्त उत्पादों अर्थात् केलसाइंड लाइम तथा सल्फर की निकासी की। हालांकि, निर्धारिती ने इनपुटों अर्थात आयातित लाइम स्टोन तथा आयातित क्विक लाइम लम्पस तथा इनपुट सेवाओं अर्थात श्रमबल एजेंसी सेवांए, कोयले और अन्य इनपुट सेवाओं के परिवहन पर माल परिवहन एजेंसी पर सेनवेट क्रेडिट का लाभ उठाया था। चूंकि निर्धारिती ने पृथक खातों

का अनुरक्षण नहीं किया था अतः नियम 6(3) के अनुसार वह ₹ 54.64 लाख की राशि का भुगतान करने का दायी है।

जब हमने यह बातया (जुलाई 2015) तब मंत्रालय ने आपित्त को स्वीकार करते हुए कहा (फरवरी 2016) कि एससीएन प्रक्रियाधीन है।

4.2.5 कोलकाता-1 एसटी कमिश्नरी में मै. वेस्ट बंगाल इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि. ने समीक्षा अवधि के दौरान विभिन्न करयोग्य तथा छूट प्राप्त सेवाएं प्रदान की। हालांकि, निर्धारिती ने करयोग्य सेवाओं तथा छूट प्राप्त सेवा दोनों के लिए उपयुक्त सामान्य इनपुट सेवाओं के लिए पृथक खातो का अनुरक्षण न करने के लिए पूर्वोक्त नियम 6 के अन्तर्गत किसी विकल्प का प्रयोग नहीं किया। चूंकि निर्धारिती ने पृथक खातो का अनुरक्षरण नहीं किया था अतः नियम 6(3) के अनुसार वह ₹ 37.36 लाख की राशि का भुगतान करने का दायी है।

जब हमने यह बताया (मई 2015) तब मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया (फरवरी 2016)।

4.3 सेनवेट क्रेडिट का अधिक लाभ उठाना

सेनवेट क्रेडिट नियमवावली 2004 का नियम 3 अनुबंधित करता है कि निर्माता/सेवा प्रदाता को इनपुट, पूंजीगत माल तथा इनपुट सेवाओं उक्त नियम 9 में निर्दिष्ट दस्तावेजों के आधार पर अंतिम उत्पादों के निर्माण या आउटपुट सेवा के प्रावधान के उपयोग में या उसके संबध में प्राप्त पर उसमें निर्दिष्ट भुगतान किए गए शुल्क पर सेनवेट क्रेडिट लेने की मंजूरी दी जाएगी।

अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान हमने 12 आयुक्तालयों में 22 मामले देखे जिसमें स्वीकार्य राशि से अधिक सेनवेट क्रेडिट का लाभ उठाया था जिसके परिणामस्वरूप 2012-13 से 2014-15 की समयावधि के दौरान ₹ 20.20 करोड़ के सेनवेट क्रेडिट का अनियमित लाभ लिया गया था। कुछ मामलें नीचे दर्शाये गए है:-

4.3.1 भुवनेश्वर-II कमिश्नरी में मै. जिंदल स्टील एंड पावर लि., अंगुल ने ₹ 29.90 करोड़ की संविभाजित हकदारी के प्रति अगस्त 2014 में ₹ 47.95 करोड़ के प्रतिकारी शुल्क (सीवीडी) तथा विशेष अतिरिक्त शुल्क (एसएडी) के इनपुट

क्रेडिट का लाभ उठाया है। क्रेडिट का अधिक लाभ उठाना रायगढ़ में अन्य यूनिट से सम्बंधित क्रेडिट के कारण हैं। इसके परिणामस्वरूप ₹ 18.05 करोड़ के क्रेडिट का अधिक लाभ उठाया गया।

जब हमने यह बताया (अप्रैल 2015), तो मंत्रालय ने आपत्ति को स्वीकार करते हुए सूचित किया (फरवरी 2016) कि एससीएन जारी किया जा रहा है।

4.3.2 पुणे-III कमिश्नरी में मै. प्रीकॉल लि. के ईआर-1/सेनवेट क्रेडिट अभिलेखों की लेखापरीक्षा जांच पर पता चला कि ईआर-1 रिटर्न में, सेवा कर क्रेडिट राशि को मई, जून, अक्तूबर तथा नवम्बर 2014 के माह में इनपुट क्रेडिट कॉलम के साथ-साथ सेवा कर क्रेडिट कॉलम दोनों में लिया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 25.15 लाख के सेवा कर के सेनवेट क्रेडिट का दोहरा लाभ उठाया गया।

जब हमने यह बताया (जून 2015) तो मंत्रालय ने ₹ 5.48 लाख के ब्याज तथा जुर्माने के साथ ₹ 25.15 लाख की वसूली सूचित की (फरवरी 2016)।

4.4 सेनवेट क्रेडिट का अनियमित लाभ उठाना

4.4.1 अनुचित दस्तावेजों पर

सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 का नियम 9 उन दस्तावेजों का उल्लेख करता है जिनके आधार पर एक निर्माता/सेवा प्रदाता को इनपुट/पूंजीगत माल या इनपुट सेवा पर भुगतान किए शुल्क/सेवा कर के सेनवेट क्रेडिट की अनुमति दी गई है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ बीजक, प्रविष्टि बिल आदि सम्मिलित है।

हमने अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान 10 आयुक्तालयों में 18 मामलें देखे जिनमें अनुचित दस्तावेजों पर सेनवेट क्रेडिट का लाभ उठाया गया। इसके परिणामस्वरूप समीक्षा अवधि के दौरान ₹ 2.36 करोड़ के सेनवेट क्रेडिट का अनियमित लाभ उठाया गया। कुछ मामले नीचे दर्शाये गए है:-

पुणे-III कमिश्नरी में मै. बीबीएम एकॉस्टिक इंडिया प्रा. लि., अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि निर्धारिती ने सहायक कम्पनी के सेवा कर भुगतान चालान प्रति के आधार पर ₹ 62.71 लाख के सेनवेट क्रेडिट का लाभ उठाया जो

सही नहीं है। इसके परिणामस्वरूप ₹ 62.71 लाख के सेनवेट क्रेडिट का अनियमित लाभ हुआ।

जब हमने इस विषय में बताया (जून 2015) तो मंत्रालय ने आपत्ति को स्वीकार करते हुए कहा (फरवरी 2016) कि दिनांक 30 अप्रैल 2010 के परिपत्र के अनुसार 'एसोसिएटिड एन्टरप्राइजिज' के मामले में सेवा कर क्रेडिट का लाभ तब उठाया जा सकता है जब सेवा प्रदाता को भुगतान किया गया हो।

सहायक कम्पनी के चालान की प्रति पर क्रेडिट का लाभ लेने के संबंध में लेखापरीक्षा आपत्ति पर मंत्रालय का उत्तर मौन है जो अस्वीकार्य है।

4.4.2 पुराने बीजकों पर सेनवेट क्रेडिट

1 सितम्बर 2014 से प्रभावी सेनवेट क्रेडिट नियमावली 2004 के नियम 4 को अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रदान करने के लिए कि सेनवेट क्रेडिट पूर्वोक्त नियम 9 के तहत जारी दस्तावेजों की तिथि से छः माह के पश्चात् स्वीकार नहीं किया जाएगा संशोधित किया गया।

अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान हमने सात आयुक्तालयों में 14 मामले पाए जिनमें उन बीजको/दस्तावेजों जो छः माह से अधिक पुराने थे, पर ₹ 2.83 करोड़ के सेनवेट क्रेडिट का लाभ उठाया गया था। कुछ मामले नीचे दर्शाये गए है:-

4.4.2.1 पुणे-III कमिश्नरी में मै. कोका कोला इंडिया प्रा. लि., ने उन बीजको/दस्तावेजों के आधार पर इनपुटों पर भुगतान किए गए शुल्क के क्रेडिट का लाभ उठाया जो सितम्बर 2014 तथा मार्च 2015 के बीच छः माह से अधिक पुराने थे। इसके परिणामस्वरूप ₹ 73.86 लाख के सेनवेट क्रेडिट का अनियमित लाभ हुआ।

जब हमने इस विषय में बताया (जून 2015) तो मंत्रालय ने सूचित किया (फरवरी 2016) कि निर्धारिती को एससीएन जारी किया गया था।

4.4.2.2 चेन्नई एलटीयू कमिश्नरी में मै. फोर्ड इंडिया प्रा. लि. ने नवम्बर 2014 में उन बीजको के आधार पर सेनवेट क्रेडिट का लाभ उठाया जो छः माह से अधिक पुराने थे। इसके परिणामस्वरूप ₹ 49.65 लाख के सेनवेट क्रेडिट का अनियमित लाभ लिया गया।

जब हमने इस विषय में बताया (जून 2015) तो मंत्रालय ने कहा (फरवरी 2016) कि बीजको के प्रति लिया गया क्रेडिट नियमानुसार था क्योंकि दिनांक 1 मार्च 2015 की अधिसूचना द्वारा समय सीमा को एक वर्ष तक बढ़ाया गया था।

मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि दिनांक 1 मार्च 2015 की अधिसूचना केवल 1 मार्च 2015 से प्रभावी है।

सिफारिश संख्या 5

सरकार बीजक/दस्तावेज संख्याएं, बीजको की तिथि, अध्याय शीर्षक के साथ माल का नाम, लिए गए क्रेडिट की राशि आदि से युक्त निर्धारिती द्वारा लाभ उठाए गए सेनवेट क्रेडिट के संदर्भ में विस्तृत सूचना प्रस्तुत करने के लिए समावेशन प्रावधान पर विचार कर ताकि रेंज स्तर पर प्राथमिक जांच की जाए।

मंत्रालय ने सूचित किया (फरवरी 2016) कि सिफारिश जांच के अधीन है।

4.5 सेनवेट क्रेडिट का स्वः समायोजन

केन्द्रय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 11बी के तहत अधिक भुगतान किए गए उत्पाद शुल्क/कर का प्रतिदाय के रूप में दावा किया जाएगा। इसलिए, एक बार भुगतान किए किसी शुल्क के स्वतः प्रेरित समायोजन, शुल्क का गैर भुगतान माना जाएगा तथा एक निर्धारिती पूर्व भुगतान किया अत्याधिक शुल्क को विभाग से प्रतिदाय का दावा करके ही प्राप्त कर सकता है।

4.5.1 कोच्चि कमिश्नरी में दूरसंचार तथा व्यवसाय सहायता सेवाओं में संलग्न मै. वोडाफोन सेल्यूलर लिमिटेड ने पूर्वोक्त नियमावली के नियम 4ए के अनुसार उनके द्वारा जारी बीजको के आधार पर सेवा कर का भुगतान किया। हालांकि, 2012-13 से 2014-15 के दौरान अपनी सेवा कर देयता देते समय निर्धारिती के कथित नियम के तहत पूर्व माह में भुगतान किए गए अधिक सेवा कर का क्रेडिट लेकर ₹ 2.41 करोड़ समायोजित किए। आगे जांच पर हमने पाया कि जब भी पूर्व-भुगतान किए कूपनों के बिक्री प्रतिदाय लेनदेन तथा पश्च भुगतान किए कनेक्शनों की राशि की प्राप्ति न होना देखा गया तो

बीजको को रखते समय भुगतान किये गये संबंधित सेवा कर को वर्तमान माह सेवा कर देयता में समायोजित किया गया। चूंकि ऐसे समायोजन को केवल तभी किया जा सकता है जब निर्धारिती सेवा कर सहित प्राप्त किए भुगतान का प्रतिदाय करे या इसके लिए क्रेडिट नोट जारी करें जैसा मामला इस अभ्युक्ति में नहीं था, निर्धारिती द्वारा किया गया समायोजन अनियमित माना गया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 2.41 करोड़ के क्रेडिट का अनियमित लाभ तथा उपयोग हुआ।

जब हमने इस ओर ध्यान दिलाया (जून 2015), मंत्रालय ने सूचित किया (फरवरी 2016) कि एससीएन जारी किया जा रहा है।

4.5.2 कोलकाता एलटीयू कमिश्नरी में, मैसर्स टीटागढ़ वैगन लिमिटेड के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि निर्धारिति ने 31 दिसम्बर 2014 को 'बोगी कंटेनर फ्लैट' के लिये मैसर्स जीएटीएक्स इंडिया (प्राइवेट) लिमिटेड को बीजक जारी किया था। लेकिन वास्तव में कथित माल उस दिन निकासित नहीं किया गया था। माल वास्तव में जनवरी 2015 को निकासित किया गया था और दिनांक 28 जनवरी 2015 को मैसर्स जीएटीएक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को फिर से अलग बीजक जारी किया गया था। दिसम्बर 2014 को मैसर्स टीटागढ़ वैगन लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत बीजक फिर मैसर्स जीएटीएक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा वापस किया गया था और निर्धारिति ने इस बीजक के आधार पर स्वत: क्रेडिट का लाभ लिया। इसके परिणामस्वरूप 2014-15 के दौरान ₹ 65.73 लाख के सेनवेट क्रेडिट का अनियमित लाभ लिया गया।

इसी प्रकार, नोएडा कमिश्नरी में, मैसर्स प्रभात जर्दा फैक्ट्री (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड ने 2012-13 के दौरान ₹ 3.20 लाख के स्वत: सेनवेट क्रेडिट का लाभ लिया।

जब हमने इस ओर ध्यान दिलाया (मई और जून 2015 के बीच) मंत्रालय ने मैसर्स टीटागढ़ वैगन लिमिटेड के संबंध में ₹ 65.73 लाख की वसूली के बारे में सूचित किया (फरवरी 2016)। मैसर्स प्रभात जर्दा फैक्ट्री (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड के मामले में मंत्रालय ने कहा कि निर्धारित सेनवेट क्रेडिट लेने के लिये पात्र नहीं था।

4.6 बिना भुगतान किये सेनवेट क्रेडिट का लाभ लेना

सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 4 का उप-नियम 7 में, प्रावधान है कि इनपुट सेवा के संबंध में सेनवेट क्रेडिट जिस दिन नियम 9 में संदर्भित बीजक, बिल या चालान जैसा भी मामला हो उस दिन या उसके बाद अनुमत होगा। इसके अतिरिक्त, कथित नियम के प्रावधान में निर्धारित है कि यदि इनपुट सेवा और भुगतान किया गया या भुगतानयोग्य सेवा कर जैसा बीजक/बिल में दर्शाया गया है के मूल्य का भुगतान बीजक/बिल की तिथि से तीन माह के अंदर नहीं किया जाता है, तो सेवा प्रदाता जिसने ऐसी इनपुट सेवा पर क्रेडिट लिया है ऐसी इनपुट सेवा पर सेनवेट क्रेडिट लाभ के बराबर राशि का भुगतान करेगा।

इसके अतिरिक्त, इस नियम में निर्धारित है कि यदि इनपुट सेवा के प्रति किया गया कोई भुगतान या उसका भाग वापस किया जाता है या निर्माता या सेवा प्रदाता जिसने ऐसी इनपुट सेवाओं पर क्रेडिट लिया है द्वारा क्रेडिट नोट प्राप्त किया जाता है, वो ऐसे वापस किये गये या क्रेडिट की गई राशि के संबंध में सेनवेट क्रेडिट लाभ के बराबर राशि का भुगतान करेगा।

अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान हमने दिल्ली-I एसटी कमीश्नरी, में दो मामले देखे, जहाँ सेवा प्रदाताओं ने उपरोक्त नियम का उल्लंघन करते हुये या तो तीन माह की निर्धारित समय सीमा के अंदर उस पर भुगतानयोग्य सेवा कर के साथ इनपुट सेवा के मूल्य का भुगतान न करके या उसका भुगतान विलम्ब से करके इनपुट सेवा पर सेनवेट क्रेडिट लाभ लिया। इसके परिणामस्वरूप समीक्षा अवधि के दौरान ₹ 1.49 करोड़ के सेनवेट क्रेडिट का अनियमित लाभ प्राप्त किया गया।

एक मामले का उल्लेख नीचे किया गया है:-

दिल्ली-I एसटी कमिश्नरी में, मैसर्स सोम इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि निर्धारिति ने इनपुट सेवा पर ₹ 1.48 करोड़ के सेनवेट क्रेडिट का लाभ और उपयोग किया, जिसके संबंध में निर्धारिति ने लेखापरीक्षा की तिथि (जून 2015) तक इनपुट सेवा के मूल्य का भुगतान नहीं किया था। जिसके परिणामस्वरूप 2012-13 से 2013-14 की अवधि के दौरान ₹ 1.48 करोड़ के सेनवेट क्रेडिट का अनुचित लाभ लिया गया।

जब हमने इस ओर ध्यान दिलाया (जून 2015) मंत्रालय ने ₹ 2.34 करोड़ की वसूली के बारे में सूचित किया (फरवरी2016)।

4.7 इनपुट सेवा वितरक (आईएसडी) द्वारा सेनवेट क्रेडिट का वितरण

सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 2(एम) के अनुसार, "इनपुट सेवा वितरक" का अर्थ है अंतिम उत्पाद के निर्माता या उत्पादक या आउटपुट सेवाप्रदाता का कार्यलय जो, इनपुट सेवाओं की खरीद के प्रति सेवा कर नियमावली, 1994, के नियम 4ए के अंतर्गत जारी बीजक प्राप्त करता हैं और ऐसे निर्माता या उत्पादक या सेवा प्रदाता, जैसा भी मामला हो को कथित सेवाओं पर भुगतान किये गये सेवा कर के क्रेडिट के वितरण के उद्देश्य हेतु बीजक, बिल, या चालान जैसा भी मामला हो जारी करता है। सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 का नियम-7 इनपुट सेवा वितरक द्वारा सेनवेट क्रेडिट के वितरण के लिये शर्तें निर्धारित करता है। एक शर्त यह है कि पूर्ण रूप से छूट प्राप्त माल के निर्माता या छूट प्राप्त सेवा प्रदान करने से जुड़ी एक या अधिक इकाईयों द्वारा प्रयोग की गई सेवा के कारण सेवा कर का क्रेडिट वितरित नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त एक से अधिक इकाईयों द्वारा प्रयोग की गई सेवा के कारण सेवा कर का क्रेडिट उसकी सभी इकाईयों, जो उस वर्ष क्रियाशील थीं के कुल कारोबार से संबंधित अवधि के दौरान ऐसी इकाईयों के कुल कारोबार के आधार पर यथानुपात वितरित किया जायेगा।

अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान, हमने छह कमिश्नरियों में छः मामले देखे जिनमें 2012-13 से 2014-15 की अवधि के दौरान ₹ 1.05 करोड़ का क्रेडिट अनियमित रूप से वितरित और/या लाभ प्राप्त किया गया था। दो मामले नीचे उल्लिखित हैं:-

सिलवासा कमिश्नरी में, मैसर्स आलोक इंडस्ट्रीज, की पांच सहयोगी इकाईयां हैं (एक वापी में स्थित है, तीन सिलवासा वाली स्थित हैं और एक नवी मुंबई में स्थित है)। तथापि, निर्धारिति ने समान प्रकृति अर्थात परामर्श शुल्क, निधि की व्यवस्था के लिये व्यावसायिक शुल्क, एसएपी रखरखाव आदि की इनपुट सेवा के संबंध में सेनवेट क्रेडिट का लाभ और उपयोग किया। यह सभी सेवाऐं समान प्रकृति की हैं और पूर्ण रूप से मैसर्स आलोक इंडस्ट्रीज लिमिटेड से संबंधित हैं और केवल सिलवासा वाली निर्धारिति इकाई से नहीं। इसलिए, एक

इकाई पर सामान्य इनपुट सेवा के लिये ₹ 64.64 लाख के सेनवेट क्रेडिट का लाभ लेना अनियमित था।

जब हमने इस ओर ध्यान दिलाया (जून 2015) मंत्रालय ने ₹ 64.64 लाख की राशि की वसूली के बारे में सूचित किया (फरवरी 2016)।

4.8 सेनवेट क्रेडिट का स्थानांतरण

सेनवेट क्रेडिट नियमावली 2004 का नियम 12ए बडे करदाता जो एलटीयू के अंतर्गत पंजीकृत हैं के लिये प्रक्रिया और सुविधाऐं निर्धारित करता है। सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 12ए(4), समय-समय पर यथासंशोधित, के अनुसार, बड़ा करदाता अपने किसी एक पंजीकृत विनिर्माण परिसर या करयोग्य सेवा प्रदान करने वाले परिसर द्वारा 10 जुलाई 2014 को या पहले, लिये गये सेनवेट क्रेडिट को कुछ शर्तो के साथ ऐसे अन्य पंजीकृत परिसरों को स्थानांतरित कर सकता है।

मुंबई एलटीयू कमिश्नरी में, मैसर्स सुप्रीम इंडस्ट्रीज लिमिटेड (सिलवासा इकाई), ने 31 जुलाई 2014 को हलोल इकाई द्वारा स्थानांतरित क्रेडिट के के आधार पर 2014-15 में ₹ 60 लाख के सेनवेट क्रेडिट का लाभ लिया और उपयोग किया। इकाई के स्थानांतरणकर्ता (हेलोल इकाई) के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि 11 जुलाई 2014 से 31 जुलाई 2014 की अवधि के दौरान उसके द्वारा प्राप्त किये गये ₹ 10.17 लाख का क्रेडिट भी सिलवासा इकाई को स्थातांरित कर दिया गया था। इस प्रकार, स्थानांतरणकर्ता इकाई द्वारा 10 जुलाई 2014 को सेनवेट क्रेडिट के शेष से अतिरिक्त स्थानांतरित किये गये सेनवेट क्रेडिट की राशि सही नहीं थी। जिसके परिणामस्वरूप सिलवासा इकाई द्वारा ₹ 10.17 लाख के सेनवेट क्रेडिट का अनियमित लाभ और उपयोग हुआ।

जब हमने इस ओर ध्यान दिलाया (जून 2015) मंत्रालय ने ₹ 1.83 लाख के ब्याज सहित ₹ 10.17 लाख की वसूली के बारे में बताया (फरवरी 2016)।

4.9 पूर्ण/आंशिक रूप से बट्टे खाते में डाले गये इनपुट या पूंजीगत माल का सेनवेट क्रेडिट

सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 का नियम 3(5बी) निर्धारित करता है कि यदि प्रयोग से पहले किसी भी इनपुट या पूँजीगत माल जिस पर सेनवेट क्रेडिट लिया गया हो का मूल्य पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से बट्टे खाते में डाल दिया गया है या जहां पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से बट्टे खाते में डालने का कोई भी प्रावधान बही खाते में किया गया हो, तो निर्माता या सेवा प्रदाता कथित इनपुट या पूँजीगत माल के संबंध में लिये गये सेनेवेट क्रेडिट के बराबर राशि का भुगतान करेगा।

अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान, हमने चार कमिश्नरियों में चार मामले देखे, जिनमें कि इनपुट/पूँजीगत माल जिस पर सेनवेट क्रेडिट का लाभ लिया गया था का मूल्य या तो बट्टे खाते में डाल दिया गया था या उसे प्रयोग करने से पूर्व बही खाते में बट्टे में डालने का प्रावधान कर दिया गया था लेकिन संबंधित सेनवेट क्रेडिट वापस नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप समीक्षा अवधि के दौरान ₹ 44.81 लाख के सेनवेट क्रेडिट का गैर-उत्क्रमण हुआ। एक मामला नीचे उल्लिखित है:-

पुणे-III कमिश्नरी में, मैसर्स इनोवेटिव टेक्नोमिक्स प्राइवेट लिमिटेड ने वर्ष 2012-13 के दौरान ₹ 2.19 करोड़ का स्टॉक हटाया। लेखापरीक्षा ने देखा कि यद्यपि ऐसे स्टॉक पर सेनवेट क्रेडिट का लाभ लिया गया था, लाभ प्राप्त किये गये सेनवेट क्रेडिट के बराबर राशि स्टॉक हटाते समय निर्धारिति द्वारा वापस नहीं की गई। इसके परिणामस्वरूप ₹ 22.57 लाख का अनियमित क्रेडिट हुआ।

जब हमने इस ओर ध्यान दिलाया (जून 2015), आपत्तियों को स्वीकार करते समय मंत्रालय ने कहा (फरवरी 2016) कि एससीएन जारी किया जा रहा है।

4.10 शिक्षा उपकर और माध्यमिक उच्च शिक्षा के सेनवेट क्रेडिट का गलत भुगतान

अंतिम उत्पाद के विनिर्माता या उत्पादक या आउटपुट सेवाप्रदाता को सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 3(1) में सूचीबद्ध सभी शुल्क, कर और

उपकर का सेनवेट क्रेडिट लेने की अनुमति है। दिनांक 17 मार्च 2012 के सीमाशुल्क अधिसूचना के माध्यम से प्रतिकारी शुल्क (सीवीडी) पर शिक्षा उपकर और माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर पर छूट के बाद या तो पूर्ण या सीवीडी के अनुरूप उपरोक्त उपकर का सेनवेट क्रेडिट लाभ लेना अनियमित होगा क्योंकि सीमाशुल्क पर भुगतान किया गया उपकर उपरोक्त नियम 3(1) में शामिल नहीं है।

अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान 12 कमिश्नरियों में 17 मामलों में हमने देखा कि निर्धारिति ने सीमाशुल्क पर भुगतान किये गये उपकर का क्रेडिट लिया है जिसके परिणामस्वरूप समीक्षा अवधि के दौरान ₹ 85.61 लाख के सेनवेट क्रेडिट का अनियमित लाभ हुआ। एक मामला नीचे उल्लिखित है:--

बोलपुर कमिश्नरी में, मैसर्स कॉनकास्ट बंगाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने आयातित इनपुट से संबंधित आगम बिल के आधार पर सीमा शुल्क पर भुगतान किये गये ₹ 32.00 लाख के शिक्षा उपकर और माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर के क्रेडिट का लाभ लिया और उपयोग किया। इसके परिणामस्वरूप समीक्षा अवधि के दौरान ₹ 32.00 लाख के सेनवेट क्रेडिट का अनियमित लाभ हुआ।

जब हमने इस ओर ध्यान दिलाया (सितम्बर 2014) मंत्रालय ने आपत्ति स्वीकार करते समय (फरवरी 2016) कहा कि एससीएन जारी किये जा रहे हैं।

4.11 प्रतिलोम प्रभार के अंतर्गत सेवा कर के भुगतान हेतु सेनवेट क्रेडिट का प्रयोग

सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 3(4) के नीचे दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार, सेनवेट क्रेडिट को ऐसी सेवाओं, जहां कर के भुगतान के लिये उत्तरदायी व्यक्ति सेवा प्राप्तकर्ता हो, के संबंध में सेवा कर के भुगतान के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता।

अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान हमने तीन कमिश्नरियों में तीन मामलों में देखा, जहां सेवा कर का, सेनवेट क्रेडिट लेखे के प्रयोग द्वारा, सेवा प्राप्तकर्ता के रूप में भुगतान किया गया था। इसके कारण समीक्षा अवधि के दौरान ₹ 11.34 लाख के सेनवेट क्रेडिट का अनियमित प्रयोग हुआ। एक मामला आगे उल्लिखित है:-

दिल्ली-एसटी कमिश्नरी में, मैसर्स असेन्ट बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड ने सेनवेट क्रेडिट का प्रयोग करके सेवा प्राप्तकर्ता के रूप में प्रतिलोम प्रभार तंत्र के अंतर्गत इनपुट सेवा पर ₹ 4.50 लाख के सेवा कर का भुगतान किया। जिसके कारण समीक्षा अवधि के दौरान ₹ 4.50 लाख के सेनवेट क्रेडिट का अनियमित उपयोग हुआ।

जब हमने इस बारे में बताया (जून 2015) तब, मंत्रालय ने सूचना दी (फरवरी 2016) कि निर्धारिती ने राशि जमा करा दी थी।

4.12 उपयोग करने के बाद पूँजीगत माल को हटाना

सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 का नियम 3 (5ए) प्रावधान करता है कि जब पूंजीगत माल, जिस पर सेनवेट क्रेडिट लिया गया है, को उपयोग के पश्चात हटा दिया जाता है तब ऑउटपुट सेवाओं का विनिर्माता या प्रदाता सेनवेट क्रेडिट लेने की तिथि से वर्ष की प्रत्येक तिमाही या इसके भाग हेतु नियम में निर्दिष्ट सरल रेखा प्रणाली द्वारा संगणित प्रतिशतता बिंदुओं द्वारा घटाकर उक्त पूंजीगत माल पर लिए गए सेनवेट क्रेडिट के बराबर राशि का भुगतान करेगा। किन्तु, यदि इस प्रकार संगणित राशि संव्यवहार राशि पर उदग्राहय शुल्क के बराबर राशि से कम है, तब भुगतान की जाने वाली राशि संव्यवहार मूल्य पर उदग्राहय शुल्क के बराबर होगी।

अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान तीन कमिश्नरियों में चार मामलों में हमने देखा कि समीक्षा अवधि के दौरान ₹ 13.30 लाख की राशि को उपयोग किए गए पूंजीगत माल के निष्कासन पर वापस नहीं किया गया था।

दिल्ली I कमिश्नरी में मैसर्स सुवी इंटरनेशनल प्रा. लि. ने पूंजीगत माल पर ₹ 30.04 लाख का सेनवेट क्रेडिट प्राप्त और उपयोग किया था। निर्धारिती ने बाद में इन पूंजीगत माल को रद्दी और स्क्रैप के रूप में बेच दिया। तथापि, ₹ 8.12 लाख के आनुपातिक सेनवेट क्रेडिट को लौटाया नहीं गया था।

जब हमने इस बारे में बताया (जून 2015), तब मंत्रालय ने बताया (फरवरी 2016) कि निर्धारिती के प्रति कोई प्राप्य लंबित नहीं है।

सेनवेट क्रेडिट के वापस करने या रद्दी एवं स्क्रैप के रूप में पूंजीगत माल को बेचने पर संव्यवहार मूल्य पर शुल्क के भुगतान के पहलू पर मंत्रालय का उत्तर मौन है।

4.13 कामगारों को भेजे गए माल पर सेनवेट क्रेडिट वापस न करना

सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 4(5ए), के अनुसार यदि आगे की प्रकिया, परीक्षण, मरम्मत आदि के लिए जॉब कामगारों को भेजे गए इनपुटों या पूंजीगत माल, जॉब कामगारों को इसके भेजने के एक सौ अस्सी दिनों के अंदर फैक्ट्री में वापस प्राप्त नहीं किया जाता है तब आउटपुट सेवा का विनिर्माता या प्रदाता, सेनवेट क्रेडिट के डेबिट या अन्यथा द्वारा, इनपुटों या पूंजीगत माल पर आरोप्य सेनवेट क्रेडिट के बराबर राशि का भुगतान करेगा।

भरूच कमिश्नरी में मै. लेनेक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मै. नुबर्ग इंजीनियरिंग लिमिटेड तथा मै. राहुल फेरोमेट एण्ड इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि आगे की प्रक्रिया परीक्षण, मरम्मत आदि के लिए कामगारों को भेजे गए इनपुटों या पूंजीगत माल को एक सौ अस्सी दिनों के अंदर फैक्ट्री में वापस प्राप्त नहीं किया गया था किन्तु आउटपुट सेवा के विनिर्माता या प्रदाता, प्राप्त न हुए या कम प्राप्त हुए इनपुटों/पूंजीगत माल पर आरोप्य क्रेडिट को वापस करने में विफल रहा। इसके परिणामस्वरूप, समीक्षा अवधि के दौरान ₹ 23.42 लाख का सेनवेट क्रेडिट (20.11+2.13+1.18) वापस नहीं किया गया था।

जब हमने इस बारे में बताया (जून 2015), तब मंत्रालय ने ₹ 23.42 लाख में सेनवेट क्रेडिट को लौटाने की सूचना दी (फरवरी 2016)।

4.14 सेनवेट क्रेडिट और अवमूल्यन की साथ-साथ प्राप्ति

सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 4(4) के अनुसार पूंजीगत माल के संबंध में सेनवेट क्रेडिट, पूंजीगत माल के मूल्य के उस भाग पर अनुमत नहीं होगा जो ऐसे पूंजीगत माल पर उस शुल्क राशि का प्रतिनिधित्व करता है जिस पर आउटपुट सेवा के विनिर्माता या प्रदाता, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 32 के अंतर्गत मूल्यह्रास के रूप में दावा करते हैं।

फरीदाबाद-II कमिश्नरी में मै. शुभम स्टार्च केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड ने वर्ष 2013-14 के दौरान पूंजीगत माल का ₹ 2.95 लाख (उपकर सहित) का सेनवेट क्रेडिट प्राप्त किया था साथ ही उत्पाद शुल्क तत्व सहित समग्र राशि का लाभ भी उठाया था जिस पर आयकर अधिनियम 1961 की धारा 32 के अनुसार अवमूल्यन का दावा किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 2.95 लाख के सेनवेट क्रेडिट की अनियमित प्राप्ति हुई।

जब हमने इस बारे में बताया (जुलाई 2015), तब मंत्रालय ने अभ्युक्ति को स्वीकार करते समय ब्याज सहित ₹ 2.95 लाख के सेनवेट क्रेडिट के लौटाने की सूचना दी (फरवरी 2016)।

इसी प्रकार, सिलवासा कमिश्नरी में मै. स्टीलफैब बिल्डिंग सिस्टम्स ने 2014-15 के दौरान ₹ 2.01 लाख का अनियमित सेनवेट क्रेडिट प्राप्त किया था।

जब हमने इस बारे में बताया (अप्रैल 2015) तब मंत्रालय ने अभ्युक्ति स्वीकार करते हुए ₹ 0.53 लाख के ब्याज सहित ₹ 2.01 लाख के सेनवेट क्रेडिट के लौटाने की सूचना दी (फरवरी 2016)।

4.15 अन्य मामले

अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान हमने सात मामलों में पाया कि सेनवेट क्रेडिट अनियमित रूप से प्राप्त/उपयोग किया गया था जो प्रावधान/अधिसूचना के उल्लंघन में है जिसमें ₹ 48.28 लाख का राजस्व शामिल है। इन मामलों को नीचे सारणीबद्ध किया गया है:-

क्रम सं.	निर्धारिती का नाम	कमिश्नरी	अवधि	शामिल राजस्व (लाख ₹ में)
1.	मै. आइकन हाउसहोल्ड प्रोडक्ट (पी) लिमिटेड	गुवाहाटी	2013-15	11.28
2.	मै. आरपी मल्टीमेटल्स प्राइवेट लिमिटेड	चण्डीगढ़-I	2014-15	1.51
3.	मै. बुबना एडवरटाइजिंग	दिल्ली-I एसटी	2012-14	9.54
4.	मै. ओवरसीज लॉजिस्टिक्स प्रा. लिमिटेड	दिल्ली-I एसटी	2012-14	8.80
5.	मै. अरिहंत वीडियो कम्युनिकेशन	दिल्ली-I एसटी	2013-15	3.66
6.	मै. सुवी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड	दिल्ली-I	2014-15	1.40
7.	मै. उत्तम (भारत) इलेक्ट्रीकल्स प्राइवेट लिमिटेड, यूनिट-II, जयपुर	जयपुर	2012-15	12.09
	कुल			**48.28**

जब हमने इस बारे में बताया (अप्रैल और जून 2015 के बीच) तब मंत्रालय ने सभी मामलों में अभ्युक्ति को स्वीकार करते हुए मै. उत्तम इलैक्ट्रिकल्स प्राइवेट लिमिटेड को छोड़कर छह मामलों में वसूली की सूचना दी (फरवरी 2016)।

4.16 निष्कर्ष

कुछ चयनित कमिश्नरियों में सेवा कर में राष्ट्रीय औसत के सात से दस गुणा तक और केंद्रीय उत्पाद शुल्क में सात गुणा तक सेनवेट क्रेडिट का अधिक उपयोग निर्धारितियों द्वारा सेनवेट क्रेडिट के दुरूपयोग की संभावना को दर्शाता है। इसके अलावा, प्राप्त किए गए लगभग 90 प्रतिशत सेनवेट क्रेडिट की विभाग द्वारा 16 रेजों में विस्तृत संवीक्षा एवं आंतरिक लेखापरीक्षा के माध्यम से जांच नहीं की गई थी।

सेनवेट क्रेडिट के माध्यम से भुगतान की जा रही शुल्क की बड़ी मात्रा की दृष्टि से, लेखापरीक्षा का मत है कि विभाग को विवेकपूर्ण ढंग से विद्यमान श्रमबल का उपयोग करते हुए इसके आंतरिक नियंत्रण तंत्र को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।

नई दिल्ली **(संजीव गोयल)**
दिनांक: 03 मई 2016 **प्रधान निदेशक (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क)**

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली **(शशि कान्त शर्मा)**
दिनांक: 03 मई 2016 **भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक**

संकेताक्षर

एसीइएस	केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर का स्वचालन
सीएजी	भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
सीबीईसी	केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड
सीडीआर	कमिश्नरी, डिवीजन और रेंज
सीई	केंद्रीय उत्पाद शुल्क
सेनवेट	केंद्रीय मूल्य वर्धित कर
सीवीडी	प्रतिकारी शुल्क
ईआर	उत्पाद शुल्क विवरणी
जीएसटी	माल एवं सेवा कर
लि./लिमि.	लिमिटेड
एलटीयू	बड़ी करदाता इकाई
मोडवेट	संशोधित मूल्य वर्धित कर
पीएलए	व्यक्तिगत बही खाता
पीवीटी	प्राइवेट
एससीएन	कारण बताओ नोटिस
एसएसआई	लघु स्तरीय उद्योग
एसटी	सेवा कर
टीआरयू	कर अनुसंधान इकाई
वीएसएससी	विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर

© भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक

www.cag.gov.in